ITR-1 सहज भरने के निर्देश
A.Y. 2021-22

सामान्य निर्देश

ये निर्देश करदाताओं के लिए दिशानिर्देश हैं जो वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आयकर विवरणी फॉर्म-1 के विवरण भरने में सहायक होंगे। किसी भी प्रकार की शंका होने पर, कृपया आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर नियम, 1962 के सुसंगत प्रावधान देखें।

1. निर्धारण वर्ष जिसके लिए यह विवरणी फॉर्म लागू होता है

यह विवरणी फॉर्म केवल निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए लागू होता है, अर्थात यह वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अर्जित आय से संबंधित है।

2. इस विवरणी फॉर्म को कौन भर सकता है

यह विवरणी फॉर्म एक ऐसे व्यक्ति द्वारा भरा जाना चाहिए जो निवासी है लेकिन साधारणतया निवासी नहीं हैं, जिसकी निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए कुल आय रु. 50 लाख से अधिक नहीं होती है और जिसकी आय निम्न शीर्ष के तहत है:-

(a) वेतन/पेंशन से आय; या
(b) एक गृह संपत्ति से आय; या
(c) अन्य स्रोतों के तहत ब्याज से आय और/या पारिवारिक पेंशन कराधेय।

ध्यान दें:

इसके अलावा, ऐसे मामले में जहाँ पति या पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि किसी अन्य व्यक्ति की आय को निर्धारिती की आय के साथ मिलाकर एकत्रित किया जाना है, यह विवरणी फॉर्म केवल तभी उपयोग किया जा सकता है जब एकत्रित आय उपरोक्त आय श्रेणी में दिखाई जा सके।

3. इस विवरणी फॉर्म को भरने के लिए कौन पात्र नहीं है?

A. इस विवरणी फॉर्म को निम्न व्यष्टि द्वारा नहीं भरा जाना चाहिए –

(a) जो एक कंपनी में निदेशक है;
(b) जिसके पास पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पर गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों रहे हों;
(c) जिसके पास भारत के बाहर स्थित कोई संपत्ति (किसी भी इकाई में वित्तीय हित सहित) है;
(d) जिसके पास भारत के बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकार है; या

(e) जिसके पास भारत से बाहर किसी भी स्रोत से आय है।

(f) जिसने एक पात्र स्टार्ट-अप होने के कारण नियोक्ता से प्राप्त, ESOP पर कर को स्थगित कर दिया है।

(g) जिसने नकदी का प्रत्याहरण किया हो और धारा 194N के तहत ऐसे प्रत्याहरण पर TDS की कटौती की गई हो।

B. इस विवरणी फॉर्म को उस व्यष्टि द्वारा भी नहीं भरा जा सकता है जिसकी पिछले वर्ष के दौरान निम्न प्रकृति की आय रही हो:-

(a) कारबार और वृत्ति से लाभ और अभिलाभ;
(b) पूँजी अभिलाभ;
(c) एक से अधिक गृह संपत्ति से आय;
(d) अन्य स्रोत शीर्ष के अंतर्गत आय जो निम्नलिखित प्रकृति के हैं:-

(i) लॉटरी से जीती राशि;
(ii) घुड़दौड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की क्रिया;
(iii) धारा 115BBDA या धारा 115BBE के अंतर्गत विशेष दरों पर कराधेय आय;

(e) धारा 5A के प्रावधानों के अनुसार विभाजित की जाने वाली आय; या
(f) ₹5,000 से अधिक की कृषि-आय।

C. इसके अलावा, यह विवरणी फॉर्म ऐसे व्यक्ति द्वारा भी नहीं भरा जा सकता है, जिसका निम्न प्रकार के नुकसान/कटौती/राहत/कर क्रेडिट आदि का कोई दावा है:-

(a) 'गृह संपत्ति से आय' शीर्ष के अंतर्गत किसी प्रकार की अग्रनीत हानि या अग्रानीत हानि;
(b) 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अंतर्गत हानि;
(c) धारा 90 और/या धारा 91 के तहत राहत का कोई दावा;
(d) खंड (iia) के तहत कटौती के अलावा, धारा 57 के तहत कटौती का कोई दावा (*पारिवारिक पेंशन से संबंधित); या*
(e) किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा स्रोत पर काटे गए कर क्रेडिट का कोई दावा।

4. उपाबंध-हीन विवरणी फॉर्म

इस विवरणी फॉर्म के साथ कोई भी दस्तावेज़ (TDS प्रमाणपत्र सहित) संलग्न नहीं होना चाहिए। इस विवरणी फॉर्म के साथ संलग्न ऐसे सभी दस्तावेज़ अलग कर दिए जाएँगे और विवरणी फ़ाइल करने वाले व्यक्ति को वापस कर दिए जाएँगे।

5. मुख्य परिवर्तन (AY 2020-21 के लिए ITR की तुलना में)

(a) धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प ITR-1 में प्रदान किया गया है। धारा 139 (1) के अनुसार निर्दिष्ट तिथि के भीतर ही विकल्प का लाभ उठाया जाना चाहिए।

(b) जो निर्धारिती धारा 194N के तहत TDS भुगतान किए हैं वो ITR 1 फ़ाइल नहीं कर सकते हैं।

(c) निवासी व्यक्ति जिसका ESOP के कारण आयकर रद्द कर दिया गया है, वो ITR-1 फ़ाइल नहीं कर सकते।

(d) लाभांश आय का त्रैमासिक विवरण प्रदान किया जाना है।

(e) अनुसूची DI हटा दिया गया है।

(f) धारा 80GGA के तहत पात्र दान राशि की गणना के लिए नकद दान करने की तिथि प्रविष्ट की गई

6. इस विवरणी फॉर्म को फ़ाइल करने और सत्यापन करने का तरीका

यह विवरणी फॉर्म आयकर विभाग में निम्नलिखित तरीकों से फ़ाइल किया जा सकता है:-

A. इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर विभाग के ई-फ़ाइलिंग वेब पोर्टल (www.incometaxindiaefiling.gov.in) (7-जून-2021 से www.incometax.gov.in) पर और निम्नलिखित तरीके में से किसी एक द्वारा सत्यापित किया जा सकता है –

(i) सत्यापन भाग पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करके, या

(ii) इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) के माध्यम से प्रमाणित करके, या

(iii) आधार OTP, या

(iv) CPC को विधिवत हस्ताक्षरित कागजी फॉर्म ITR-V - आयकर विवरणी सत्यापन फॉर्म निम्नलिखित पते पर डाक द्वारा भेजकर -

"केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र,
आयकर विभाग,
बेंगलुरु— 560500,
कर्नाटक"

फॉर्म ITR-V - आयकर विवरणी सत्यापन फॉर्म ई-फ़ाइलिंग की तारीख से 120 दिनों के भीतर पहुँच जाना चाहिए।

निर्धारिती को केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र में ITR-V की आवती की पुष्टि ई-फ़ाइलिंग खाते में पंजीकृत ई-मेल ID पर भेजी जाएगी।

B. कागजी प्रपत्र में, आयकर विभाग के नामित कार्यालयों में, विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म ITR-V के साथ। रिटर्न भरने का यह तरीका केवल अति-वरिष्ठ नागरिकों (*अर्थात पिछले वर्ष में किसी भी दौरान 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति के मामले में*) अनुज्ञात है।

7. ITR V- आयकर विवरणी सत्यापन फॉर्म भरना

5A(iv) के ऊपर बताए गए तरीके से जहाँ विवरणी फॉर्म प्रस्तुत किया जाए, तो निर्धारिती को ITRV-आयकर विवरणी सत्यापन फॉर्म को मुद्रित कर लेना चाहिए। तब निर्धारिती द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ITRV- आयकर विवरणी सत्यापन फॉर्म केवल केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु - 560500 (कर्नाटक) को साधारण डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाना चाहिए।

8. विवरणी फ़ाइल करने की बाध्यता

प्रत्येक व्यष्टि जिसकी कुल आय आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के तहत कटौती की अनुमति देने से पहले या पूँजी अभिलाभ (धारा 54 से 54GB) के लिए कटौती किए जाने पर, आय-कर में प्रभार्य अधिकतम राशि से अधिक है, वह अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। अध्याय VI-A के तहत कटौती के दावे का उल्लेख इस विवरणी फॉर्म के भाग C में किया जाना चाहिए। किसी भी तरह की शंका होने पर, कृपया आयकर अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को देख लें। निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए अधिकतम राशि जिस पर आयकर प्रभार्य नहीं है, वह व्यष्टियों की विभिन्न प्रवर्गों के मामले में निम्नलिखित है:-

(लागू होगा यदि धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था को नहीं चुना जाता है)		
Sl. No.	प्रवर्ग	राशि (₹ में)
(i)	ऐसे व्यष्टि के मामले में जो 60 वर्ष से कम आयु का हो	2,50,000
(ii)	किसी व्यक्ति के मामले में, जो भारत का निवासी है, जो पिछले वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु का रहा हो	3,00,000
(iii)	किसी व्यक्ति के मामले में, जो भारत का निवासी है, जो पिछले वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु का रहा हो	5,00,000

(यदि धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो लागू होगा)		
Sl. No.	प्रवर्ग	राशि (₹ में)
(i)	ऐसे व्यष्टि के मामले में जो 60 वर्ष से कम आयु का हो	2,50,000
(ii)	किसी व्यक्ति के मामले में, जो भारत का निवासी है, जो पिछले वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु का रहा हो	2,50,000
(iii)	किसी व्यक्ति के मामले में, जो भारत का निवासी है, जो पिछले वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु का रहा हो	2,50,000

यदि कोई व्यक्ति जिसकी आय आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A या पूँजीगत लाभ (धारा 54 से 54GB) के तहत कटौती की अनुमति देने से पहले, आयकर के लिए प्रभार्य न होने वाली अधिकतम राशि से अधिक नहीं होती है लेकिन नीचे दी गई एक या अधिक शर्तों को पूरा करती है, तो वह आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। किसी भी तरह की शंका होने पर, कृपया आयकर अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को देख लें।

a) एक या अधिक चालू खातों में रु. 1 करोड़ से अधिक राशि या इसके लगभग राशि जमा होने पर;
b) अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी विदेशी यात्रा पर रु. 2 लाख से अधिक राशि या इसके लगभग राशि का व्यय उपगत किया गया;
c) विद्युत खपत पर रु. 1 लाख से अधिक राशि या इसके लगभग राशि का व्यय उपगत किया गया।

विवरणी फॉर्म भरने के लिए मद दर मद निर्देश

भाग- A – सामान्य जानकारी

क्षेत्र का नाम		निर्देश
PAN		PAN कार्ड के आधार पर PAN दर्ज करें
नाम		PAN कार्ड के आधार पर पूरा नाम दर्ज करें
जन्म तिथि		PAN कार्ड के अनुसार जन्म तिथि दर्ज करें
आधार नंबर (12 अंक)/ आधार नामांकन ID (28 अंक)		आधार कार्ड में उल्लिखित आधार नंबर (12 अंक) दर्ज करें। यदि आधार नंबर के लिए आवेदन किया गया है लेकिन अभी तक आवंटित नहीं हुआ है, तो कृपया आधार नामांकन नंबर (28 अंक) दर्ज करें।
मोबाइल नंबर		PAN धारक का मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसका उपयोग PAN धारक के साथ आधिकारिक संप्रेषण के लिए किया जाएगा।
ईमेल एड्रेस		PAN धारक का ई-मेल एड्रेस दर्ज करें। इसका उपयोग PAN धारक के साथ आधिकारिक संप्रेषण के लिए किया जाएगा।
पता	फ्लैट/डोर/ब्लॉक नंबर	फ्लैट या गृह सं. दर्ज करें
	परिसर/ भवन / गाँव का नाम	परिसर या भवन या कक्ष-समूह या गाँव का नाम दर्ज करें
	सड़क/ गली/ डाकघर	डाकघर या सड़क या गली का नाम दर्ज करें जहाँ घर स्थित है
	क्षेत्र/ इलाका	क्षेत्र या इलाके का नाम दर्ज करें जहाँ घर स्थित है
	नगर/ शहर/ जिला	नगर या शहर या जिले का नाम दर्ज करें जहाँ घर स्थित है
	राज्य	ड्रॉपडाउन से राज्य का नाम चुनें
	देश	ड्रॉपडाउन से देश का नाम चुनें
	पिन कोड/ ज़िप कोड	डाकघर का पिन कोड/ ज़िप कोड दर्ज करें
रोजगार की प्रकृति		कृपया उपयुक्त चेक बॉक्स पर टिक करें- (a) यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो 'केंद्र सरकार' पर टिक लगाएँ। (b) यदि आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो 'राज्य सरकार' पर टिक लगाएँ। (c) यदि आप सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के कर्मचारी हैं (चाहे केंद्र या राज्य सरकार), 'सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम' पर टिक लगाएँ। (d) यदि आप पेंशन पा रहे हैं, तो 'पेंशनर' पर टिक लगाएँ। (e) यदि आप निजी क्षेत्र से जुड़े कर्मचारी हैं, तो 'अन्य' पर टिक लगाएँ (f) यदि आपकी आमदनी पारिवारिक पेंशन से है, तो आप 'लागू नहीं है' पर टिक लगाएँ।
धारा के तहत फ़ाइल किया गया		कृपया उपयुक्त चेक बॉक्स पर टिक करें जो उस धारा को इंगित करता हो जिसके अंतर्गत विवरणी फ़ाइल की जा रही है – (a) यदि नियत तारीख को या उससे पहले स्वेच्छा से फ़ाइल किया गया हो तो '139(1)' पर टिक करें (b) यदि नियत तारीख के बाद स्वेच्छा से फ़ाइल किया जाता है, तो '139(4)' पर टिक करें (c) यदि यह संशोधित विवरणी है, तो '139(5)' पर टिक करें (d) यदि धारा 119(2)(b) के आदेश के तहत देरी में क्षमा के

क्षेत्र का नाम	निर्देश
	अनुसरण में फ़ाइल किया गया है, तो '119(2)(b)' टिक करें
या धारा के तहत याचिका के उत्तर में फ़ाइल किया गया है	कानूनी सूचना के उत्तर में विवरणी फ़ाइल होने की स्थिति में, कृपया उपयुक्त चेक बॉक्स पर टिक करें - (a) यदि धारा 139(9) के तहत एक सूचना के उत्तर में फ़ाइल किया गया है, तो '139(9)' पर टिक करें (b) यदि धारा 142 (1) के तहत सूचना के उत्तर में फ़ाइल किया गया है, तो '142 (1)' पर टिक करें (c) यदि धारा 148 के तहत सूचना के उत्तर में फ़ाइल किया गया है, तो '148' पर टिक करें
यदि संशोधित/दोषपूर्ण हो तो आवती सं. और मूल विवरणी फ़ाइल करने की तारीख दर्ज करें	यदि यह एक संशोधित विवरणी है, या धारा 139(9) के तहत सूचना के उत्तर में एक विवरणी फ़ाइल की गई है, तो कृपया मूल विवरणी फ़ाइल करने की अभिस्वीकृति संख्या और तारीख दर्ज करें।
यदि धारा 139(9)/142(1)/148 के तहत सूचना या धारा 119(2)(b) के तहत आदेश के उत्तर में फ़ाइल किया गया है तो- अनन्य संख्या/दस्तावेज़ पहचान संख्या ('DIN') और ऐसी सूचना या आदेश की तारीख दर्ज करें	यदि कानूनी सूचना के उत्तर में या धारा 119(2)(b) के आदेश के तहत देरी में क्षमा के अनुसरण में फ़ाइल किया गया है, तो कृपया अनन्य संख्या/ दस्तावेज़ पहचान संख्या ('DIN') और सुसंगत कानूनी सूचना या क्षमा आदेश की तारीख दर्ज करें।
क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुन रहे हैं?	a) यदि आपने धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुना है, तो 'हाँ' पर टिक करें b) यदि आपने धारा 115 BAC के तहत पुरानी कर व्यवस्था चुना है, तो 'नहीं' पर टिक करें यदि नई कर व्यवस्था को चुना जाता है तो गृह संपत्ति शीर्ष के अंतर्गत होने वाली हानि को समायोजित करने की अनुमति नहीं है और निम्नलिखित कटौती/भत्ते का दावा नहीं किया जा सकता है 1) धारा 10 के तहत कुछ भत्ते (LTA, HRA, कार्यालय के कर्तव्यों के निष्पादन में व्यय की पूर्ति के लिए प्रदान किए गए भत्ते, कार्यालय के कर्तव्यों के निष्पादन में व्यक्तिगत खर्च को पूरा करने के लिए अनुदत्त भत्ता, MP/MLA/MLC को मिलने वाला भत्ता) 2) धारा 16 के तहत कटौती (मानक कटौती, मनोरंजन भत्ता और व्यावसायिक कर) 3) स्व-अधिकृत संपत्ति के लिए उधार ली गई पूँजी पर देय ब्याज 4) पारिवारिक पेंशन के मामले में मानक कटौती 5) अध्याय VIA कटौती (धारा 80CCD(2) के तहत अधिसूचित पेंशन योजना के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान को छोड़कर जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, पेंशन निधि, भविष्य निधि, दान आदि) टिप्पणी :

क्षेत्र का नाम	निर्देश
	1. धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प केवल धारा 139(1) के तहत केवल विवरणी फ़ाइल करने की नियत तारीख तक उपलब्ध होगा 2. करदाता ने यदि धारा 139(1) के तहत नियत तारीख के अनुसार विवरणी फ़ाइल किया है तो संशोधित विवरणी में धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था को चुन या आहृत कर सकता है।
क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के तहत विवरणी फ़ाइल कर रहे हैं, लेकिन अन्यथा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है? - (टिक करें) ☐ हाँ ☐ नहीं यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [टिप्पणी: केवल तभी भरा जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं करनी हो, लेकिन धारा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय की विवरणी प्रस्तुत कर रहे हैं]	यदि नीचे दी गई कोई एक या सभी शर्तें लागू हैं इसलिए विवरणी फ़ाइल किया जा रहा है, हालाँकि आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A या पूँजीगत लाभ (धारा 54 से 54GB) के तहत कटौती की अनुमति देने से पहले कुल आय, आयकर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम राशि से अधिक नहीं है तो 'हाँ' पर टिक करें: a) एक या अधिक चालू खातों में रु. 1 करोड़ से अधिक राशि या कुल मिलाकर जमा होने पर; b) क्या आपने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी विदेशी यात्रा पर रु. 2 लाख से अधिक की राशि या कुल व्यय का वहन किया है; c) विद्युत खपत पर रु. 1 लाख से अधिक राशि या कुल व्यय वहन किया है। यदि आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A या पूँजीगत लाभ (धारा 54 से 54GB) के तहत कटौती की अनुमति देने से पहले कुल आय, आयकर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम राशि से अधिक है तो 'नहीं' का चयन करें।
क्या आपने पिछले वर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में रु. 1 करोड़ से अधिक की राशि या कुल मिलाकर राशि जमा किया है? (हाँ/नहीं)	यदि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान एक या अधिक चालू खाते में रु .1 करोड़ या उससे अधिक की राशि जमा की गई है, तो कृपया 'हाँ' पर टिक करें अन्यथा 'नहीं' पर टिक करें। यदि 'हाँ' टिक किया है तो कृपया जमा की गई राशि/कुल राशि दर्ज करें।
क्या आपने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी विदेशी यात्रा पर रु. 2 लाख से अधिक राशि या कुल व्यय किया है? (हाँ/नहीं)	यदि आपने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति हेतु विदेश की किसी यात्रा पर रु. 2 लाख से अधिक राशि या कुल व्यय किया है तो 'हाँ' पर टिक करें, अन्यथा 'नहीं' पर टिक करें यदि 'हाँ' टिक किया है तो कृपया राशि / कुल व्यय की राशि दर्ज करें।
क्या आपने पिछले वर्ष विद्युत खपत पर रु. 1 लाख से अधिक की राशि या कुल व्यय किया है? (हाँ/नहीं)	यदि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान विद्युत खपत पर रु.1 लाख से अधिक की राशि / कुल व्यय किया गया हो तो कृपया 'हाँ' पर टिक करें, अन्यथा 'नहीं' पर टिक करें।

क्षेत्र का नाम	निर्देश
	यदि 'हाँ' टिक किया है तो कृपया राशि/व्यय की कुल राशि दर्ज करें

भाग - B – सकल कुल आय

फ़ील्ड नंबर	क्षेत्र का नाम	निर्देश
वेतन/पेंशन से प्राप्त आय		
B1(i)	**सकल वेतन (ia + ib + ic)**	यह एक स्वतः भरा जाने वाला फ़ील्ड है जो नीचे दी गई फ़ील्ड (ia), (ib) और (ic) पर दर्ज की गई कुल राशि को दर्शाता है।
B1(i)(a)	**धारा 17 (1) के अनुसार वेतन**	कृपया फॉर्म 16 के भाग B के अनुसार वेतन दर्ज करें
B1(i)(b)	**धारा 17(2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य**	कृपया फॉर्म 16 के भाग B के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य दर्ज करें
B1(i)(c)	**धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले में लाभ**	कृपया फॉर्म 16 के भाग B के अनुसार वेतन के बदले में लाभ दर्ज करें
B1(ii)	**धारा 10 के तहत कम भत्ते की सीमा (** यह सुनिश्चित करें कि यह वेतन आय धारा 17(1)/17(2)/ 17(3) के तहत शामिल है]	कृपया ड्रॉप डाउन (*सूची के अनुसार*) से भत्ते का चयन करें और छूट प्राप्त राशि दर्ज करें। यदि छूट के रूप में अनेक भत्तों का दावा किया गया है तो कृपया प्रत्येक भत्ते का विवरण अलग पंक्ति मद के रूप में दर्ज करें।
	भत्ते की सूची (*ड्रॉपडाउन में उपबंध की गई*)	धारा 10(5) - अवकाश यात्रा रियायत/सहायता टिप्पणी: यदि धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था को चुना गया है तो इस भत्ते का दावा नहीं किया जा सकता
		धारा 10(6)- किसी अधिकारी के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक, जिसे दूतावास, उच्च आयोग आदि किसी भी नाम से जाना जाता हो।
		धारा 10(7)- भारत से बाहर सेवा प्रदान करने के लिए भारत के नागरिक को भारत के बाहर सन्दत्त या अनुज्ञात भत्ते या परिलब्धियाँ
		धारा 10(10) - प्राप्त मृत्यु–सह–सेवा-निवृत्ति उपदान
		धारा 10(10A)- प्राप्त पेंशन का लघुकृत मूल्य
		धारा 10(10AA)- सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश नकदीकरण टिप्पणी: यदि नियोक्ता की श्रेणी "केंद्र या राज्य सरकार" के अलावा है तो धारा 10(10AA) के तहत की जाने वाली कटौती रु. 3 लाख तक सीमित होगी।
		धारा 10(10B) सरकारी राजपत्र में CG द्वारा अधिसूचित पहले परन्तुक में क्षतिपूर्ति की सीमा
		धारा 10(10B) केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के दूसरे परन्तुक के तहत क्षतिपूर्ति
		धारा 10(10C)- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति पर प्राप्त/प्राप्य राशि

फ़ील्ड नंबर	क्षेत्र का नाम	निर्देश
		धारा 10(10CC)- नियोक्ता द्वारा गैर-मौद्रिक परिलब्धि पर सन्दत्त कर
		धारा 10(13A) - गृह किराए पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए भत्ता टिप्पणी: यदि धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था को चुना गया है तो इस भत्ते का दावा नहीं किया जा सकता
		धारा 10(14)(i)- विशेष रूप से कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों के निष्पादन में पूरी तरह से, अनिवार्य रूप से और विशेष रूप से और वास्तव में किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारित भत्ते या लाभ (परिलब्धि के रूप में नहीं) टिप्पणी: यदि धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था को चुना गया है तो इस भत्ते का दावा नहीं किया जा सकता
		धारा 10(14)(ii)- कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों के निष्पादन में व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए अनुदत्त निर्धारित भत्ते या लाभ अथवा अधिक निर्वाह-खर्च हेतु क्षतिपूर्ति। टिप्पणी: यदि धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था को चुना गया है तो इस भत्ते का दावा नहीं किया जा सकता
		किसी अन्य - किसी अन्य भत्ते की स्थिति में दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में विवरण दर्ज करें।
		धारा 10(14)(i) - नियम 2BB में उप-नियम (1) के उप-खंड (a) से (c) में निर्दिष्ट भत्ते टिप्पणी: यदि धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस भत्ते का दावा किया जा सकता है
		धारा 10(14)(ii) - कुछ शारीरिक विकलांग निर्धारिती को परिवहन भत्ता दिया जाता है टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस भत्ते का दावा किया जा सकता है
B1(iii)	**कुल वेतन (i – ii)**	यह एक स्वतः भरा जाने वाला फ़ील्ड है जो सकल आय *[B1(i)]*में से छूट प्राप्त भत्ते *[B1(ii)]* की कटौती के बाद शुद्ध राशि को दर्शाता है।
B1(iv)	**धारा 16 (iva + ivb + ivc) के तहत कटौती**	यह एक स्वतः भरा जाने वाला फ़ील्ड है जो नीचे दी गई फ़ील्ड (iva), (ivb) और (ivc) में दर्ज की गई कुल राशि को दर्शाता है।
B1(iv)(a)	**धारा 16(ia) के तहत मानक कटौती**	कृपया धारा 16(ia) (*फॉर्म 16 के भाग B के रूप में*) के तहत स्वीकार्य मानक कटौती दर्ज करें टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है

फ़ील्ड नंबर	क्षेत्र का नाम	निर्देश
B1(iv)(b)	**धारा 16(ii) के तहत मनोरंजन भत्ता**	कृपया धारा 16(ii) (*फॉर्म 16 के भाग B के अनुसार*) के तहत कटौती के रूप में स्वीकार्य मनोरंजन भत्ते की राशि दर्ज करें टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है
B1(iv)(c)	**धारा 16(iii) के तहत व्यावसायिक कर**	कृपया सन्दत्त व्यावसायिक कर की राशि दर्ज करें जो कि धारा 16(iii) (*फॉर्म 16 के भाग B के अनुसार*) के तहत कटौती के रूप में स्वीकार्य है। टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है
B1(v)	**'वेतन' शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय (iii - iv)**	यह एक स्वतः भरा जाने वाला फ़ील्ड है जो कुल वेतन *[B1(iii)]* के विरुद्ध धारा16 *[B1(iv)]* के तहत कटौती के दावे के बाद शुद्ध राशि को दर्शाता है।
गृह संपत्ति से आय		
B2	**गृह संपत्ति का प्रकार**	पिछले वर्ष के दौरान गृह संपत्ति के उपयोग को इंगित करते हुए कृपया उपयुक्त चेक बॉक्स को टिक करें- (a) यदि गृह संपत्ति में गृह या गृह का कोई हिस्सा धारा 23(2) के तहत स्व-अध्यासित या स्व-अध्यासित के रूप में प्रयोग किया गया है, तो 'स्व-अध्यासित' पर टिक करें (b) यदि गृह संपत्ति या उसका कुछ हिस्सा, पूरे वर्ष या कुछ समय के लिए वास्तव में किराए पर दिया गया था, तो 'किराए पर संदत्त' पर टिक करें (c) यदि गृह संपत्ति या उसका कुछ हिस्सा, धारा 23(4) के तहत किराए पर मान लिया गया था, तो 'किराए पर मान्य' पर टिक करें
B2(i)	**वर्ष के दौरान प्राप्त/ प्राप्य/ स्वीकार्य सकल मूल्य**	यदि गृह संपत्ति वास्तव में किराए पर दी जाए तो कृपया वर्ष के दौरान संपत्ति के संबंध में प्राप्त या प्राप्य वास्तविक किराए की राशि दर्ज करें। अन्यथा, उस राशि को दर्ज करें जो वर्ष के दौरान संपत्ति को किराए के रूप में उचित तौर पर मिलने की आशा थी।
B2(ii)	**स्थानीय प्राधिकारियों को सन्दत्त कर**	कृपया गृह संपत्ति पर कर की राशि दर्ज करें, जिसका भुगतान वर्ष के दौरान स्थानीय प्राधिकारियों को किया गया है जैसे कि नगर निगम कर भुगतान आदि।
B2(iii)	**वार्षिक मूल्य (i – ii)**	यह एक स्वतः भरा जाने वाला फ़ील्ड है जो स्थानीय प्राधिकारियों *[B2(ii)]* को कर सन्दत्त के द्वारा घटाए गए सकल किराए *[B2(i)]* की राशि को दर्शाता है।
B2(iv)	**वार्षिक मूल्य का 30%**	कृपया इस प्रकार आकलित वार्षिक मूल्य का 30% दर्ज

फ़ील्ड नंबर	क्षेत्र का नाम	निर्देश
		करें।
B2(v)	**उधार ली गई पूँजी पर देय ब्याज**	यदि संपत्ति का उधार ली गई पूँजी से अर्जन/ निर्माण/ मरम्मत/ नवीकरण/ पुनर्गठन किया गया हो, तो कृपया ऐसी उधार ली गई पूँजी पर देय ब्याज की वास्तविक राशि दर्ज करें। यदि गृह संपत्ति धारा 23(2) के प्रावधानों के अनुसार 'स्व-अध्यासित' है, तो उधार ली गई पूँजी पर देय ब्याज की राशि, जैसा भी मामला हो, रु. 2 लाख या 30 हजार तक सीमित होगी। टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो स्व-अध्यासित संपत्ति हेतु सन्दत्त ब्याज का दावा नहीं किया जा सकता है
B2(vi)	**बकाया/अवास्तविक किराया वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया**	यदि किराये की बकाया राशि प्राप्त हुई है या वर्ष के दौरान, अवास्तविक किराया, गृह संपत्ति के संबंध में, बाद में एक किरायेदार से प्राप्त किया गया है, तो कृपया प्राप्त बकाया/अवास्तविक किराये के 30% के बराबर कम करने के बाद, बकाया/अवास्तविक किराये की राशि दर्ज करें।
B2(vii)	**'गृह संपत्ति' शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय (iii – iv – v) + vi (यदि हानि हो तो हानि से आंकड़े को नकारात्मक रूप में रख दें)** **टिप्पणी:- गृह संपत्ति से समायोजित की जा सकने वाली अधिकतम हानि रु. 2, 00,000 है। अग्रानीत का लाभ उठाने और हानि को समायोजित करने के लिए, कृपया ITR -2 का उपयोग करें**	यह एक स्वतः भरी जाने वाली फ़ील्ड है जो 'गृह संपत्ति' शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय को दर्शाता है। इसकी गणना वार्षिक मूल्य *[B2(iii)]* में मानक कटौती *[B2(iv)]* को घटाकर उधार ली गई पूँजी पर देय ब्याज *[B2(v)]* को घटाकर होती है, जिसमें बकाया/अवास्तविक किराया शामिल है, यदि *[B2(vi)]* है तो। यदि 'गृह संपत्ति' शीर्ष के तहत शुद्ध संगणना एक हानि है, तो उसे आय के विरुद्ध किसी अन्य शीर्ष के तहत उसी सीमा तक समायोजित किया जा सकता है जहाँ इस तरह की हानि रु. 2 लाख से अधिक नहीं है। यदि गृह संपत्ति के तहत हानि रु.2 लाख से अधिक है, और शेष नुकसान अग्रानीत करने की आवश्यकता है, तो ITR-1 (सहज) फॉर्म का उपयोग न करके अन्य नियमित ITR फॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिए।
अन्य स्रोतों से आय		
B3	**अन्य स्रोतों से आय**	कृपया ड्रॉप डाउन से आय की प्रकृति का चयन करें (नीचे दी गई सूची के अनुसार) और आय की राशि दर्ज करें। यदि आय की अनेक मदों की रिपोर्ट की जानी है, तो कृपया प्रत्येक आय का विवरण अलग पंक्ति में मद के रूप में दर्ज करें।

फ़ील्ड नंबर	क्षेत्र का नाम	निर्देश
		<u>आय की श्रेणियों की सूची</u>:- (a) बचत बैंक खाते से ब्याज (b) जमा से ब्याज(बैंक/डाकघर/सहकारी समिति) (c) आयकर प्रतिदाय से ब्याज (d) परिवार पेंशन (e) लाभांश (f) किसी अन्य- किसी अन्य तरह की ब्याज से आय होने पर दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में विवरण दर्ज करें। यदि लाभांश आय का चयन किया जाता है, तो कृपया दी गई तालिका में अर्जित लाभांश आय का त्रैमासिक विवरण दर्ज करें।
	कम: धारा 57(iia) के तहत कटौती (केवल पारिवारिक पेंशन के मामले में)	यदि आपने उपरोक्त कॉलम में आय के एक स्रोत के रूप में पारिवारिक पेंशन रिपोर्ट किया है, तो कृपया धारा 57(iia) (*अर्थात प्राप्त पारिवारिक पेंशन की राशि का 1/3 या रुपए पंद्रह हजार, जो भी कम हो*) के अनुसार स्वीकार्य कटौती की राशि दर्ज करें। टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है
B4 से अधिक है	**सकल कुल आय (B1+B2+B3) (यदि हानि है तो, आंकड़े को नकारात्मक में डाल दें)** **टिप्पणी: अग्रानीत का लाभ उठाने और हानि को समायोजित करने के लिए, कृपया ITR -2 का उपयोग करें**	यह एक स्वतः भरा जाने वाला फ़ील्ड है जो 'वेतन से आय' *[B1(v)]*, 'गृह संपत्ति' *[B2(vii)]* और 'अन्य स्रोतों से आय' *(B3)* को कुल मिलाकर दर्शाता है। टिप्पणी: एक ऐसे मामले में जहाँ 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुन रहे हैं?' और 'गृह संपत्ति'B2(vii) से आय नकारात्मक है, जिसके लिए 'हाँ' का विकल्प चुना जाता है तब यह एक स्वतः भरा जाने वाला फ़ील्ड है जो 'वेतन से आय'*[B1(v)]* और 'अन्य स्रोत से प्राप्त आय'*(B3)* को कुल मिलाकर दर्शाता है।

<u>भाग - C – कटौती और कर योग्य कुल आय</u>

इस भाग में, कृपया अध्याय VI-A के तहत दावा की गयी कटौती और वर्ष के दौरान कराधेय कुल आय की संगणना का विवरण प्रदान करें -
<u>कृपया ध्यान दें कि यदि पहले से ही AY 2020-21 में दावा किया गया है तो 01-04-2020 से 31-07-2020 की अवधि के लिए निवेश/ जमा/ भुगतान के संबंध में कटौती का दावा फिर से नहीं किया जा सकता है</u>

धारा	कटौती की प्रकृति	निर्देश
80C	**जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अंशदान, कुछ इक्विटी शेयरों या डिबेंचरों**	कृपया जीवन बीमा प्रीमियम के लिए सन्दत्त या जमा की गई राशि, सरकार द्वारा स्थापित किसी भविष्य निधि में योगदान, मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी योगदान

धारा	कटौती की प्रकृति	निर्देश
	इत्यादि की सदस्यता के संबंध में कटौती	या अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि में योगदान, आस्थगित वार्षिकी योजना में योगदान, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र में सदस्यता, ट्यूशन फीस, आवासीय घर के निर्माण/ खरीद के लिए उधार ली गई राशि के भुगतान या पुनर्भुगतान हेतु ली गई राशि और इसी तरह के भुगतान/निवेश दर्ज करें जो आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए पात्र हैं। धारा 80C, 80CCC और 80CCD (1) के तहत कुल कटौती राशि की अधिकतम सीमा रु.1,50,000 होगी। टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है
80CCC	**कुछ पेंशन निधियों में अंशदान के संबंध में कटौती**	कृपया पेंशन निधि से पेंशन प्राप्त करने के लिए LIC या किसी अन्य बीमाकर्ता की किसी भी वार्षिकी योजना हेतु सन्दत्त राशि दर्ज करें, जो धारा 80CCC के तहत कटौती के लिए पात्र है। धारा 80C, 80CCC और 80CCD (1) के तहत कटौती की कुल राशि की अधिकतम सीमा रु. 1,50,000 होगी। टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है
80CCD (1)	**केंद्र सरकार की पेंशन योजना में योगदान के संबंध में कटौती**	कृपया केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना के तहत वर्ष के दौरान आपके खाते में सन्दत्त या जमा की गई राशि दर्ज करें, जो धारा 80CCD की उप-धारा (1) के तहत कटौती के लिए पात्र है। धारा 80C, 80CCC और 80CCD (1) के तहत कटौती की कुल राशि की अधिकतम सीमा रु. 1,50,000 होगी। पात्र राशि की अधिकतम सीमा वेतन के 10% के अधीन है। यदि वेतन से कोई आय नहीं है, तो पात्र राशि सकल कुल आय की अधिकतम 20% सीमा के अधीन है। टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस कटौती

धारा	कटौती की प्रकृति	निर्देश
		का दावा नहीं किया जा सकता है
80CCD(1B)	**केंद्र सरकार की पेंशन योजना में योगदान के संबंध में कटौती**	कृपया केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना के तहत वर्ष के दौरान सन्दत्त या जमा की गई राशि दर्ज करें, जो धारा 80CCD की उप-धारा (1B) के तहत कटौती के लिए पात्र है। इस उप-धारा के तहत पात्र राशि रु. 50,000 की अधिकतम सीमा के अधीन है और आगे शर्त यह है कि उसी राशि के संबंध में उप-धारा (1) के तहत कोई दावा नहीं किया जाना चाहिए। टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है
80CCD (2)	**केंद्र सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता के योगदान के संबंध में कटौती**	कृपया केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना के तहत वर्ष के दौरान आपके खाते में नियोक्ता के योगदान की राशि दर्ज करें, जो धारा 80CCD की उप-धारा (2) के तहत कटौती के लिए पात्र है। यदि चयनित रोजगार की प्रकृति 'केंद्र सरकार' के अलावा है तो पात्र राशि वेतन के 10% की अधिकतम सीमा के अधीन है। यदि चयनित रोजगार की प्रकृति 'केंद्र सरकार' है तो पात्र राशि वेतन के 14% की अधिकतम सीमा के अधीन है।
80D	**स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती**	यह फ़ील्ड अनुसूची 80D द्वारा स्वतः भर जाएगी। कटौती का दावा करने के लिए कृपया अनुसूची 80D भरें। टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है
80DD	**विकलांग आश्रित व्यक्ति के चिकित्सा उपचार सहित देखभाल के संबंध में कटौती**	कृपया ड्रॉप डाउन से समुचित विकल्पों का चयन करके विकलांग आश्रित व्यक्ति के चिकित्सीय उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास हेतु वास्तव में किए गए व्यय का विवरण दर्ज करें। 1. विकलांग आश्रित व्यक्ति 2. गंभीर रूप से विकलांग आश्रित व्यक्ति विकलांग आश्रित व्यक्ति के मामले में कटौती हेतु पात्र अधिकतम राशि ₹ 75,000 है और गंभीर विकलांगता के

धारा	कटौती की प्रकृति	निर्देश
		साथ आश्रित व्यक्ति के मामले में ₹ 1,25,000 की सीमा के अधीन है। टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है
80DDB	**चिकित्सा उपचार आदि के संबंध में कटौती।**	स्वयं, आश्रित या HUF के सदस्य के लिए निर्दिष्ट रोगों के चिकित्सा उपचार पर वास्तव में किए गए व्यय का विवरण दर्ज करें। कृपया ड्रॉप-डाउन मेन्यू से उपयुक्त विकल्पों का चयन करें और सुसंगत राशि दर्ज करें। 1. स्वयं या आश्रित 2. वरिष्ठ नागरिक - स्वयं या आश्रित वर्ष के दौरान कटौती के लिए पात्र राशि ₹ 40,000 की अधिकतम सीमा के अधीन है। हालाँकि, वरिष्ठ नागरिक के मामले में लागू सीमा ₹1,00,000 है। टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है
80E	**उच्च-शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती**	कृपया स्वयं या रिश्तेदार की उच्च-शिक्षा प्राप्त करने के प्रयोजन से किसी वित्तीय संस्था या अनुमोदित धर्मार्थ संस्था से लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में वर्ष के दौरान सन्दत्त की गई राशि दर्ज करें जो धारा 80E के तहत कटौती हेतु पात्र है। टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है
80EE	**आवासीय गृह संपत्ति हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती**	कृपया आवासीय संपत्ति के अर्जन हेतु किसी वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में वर्ष के दौरान सन्दत्त राशि दर्ज करें, जो धारा 80EE के तहत कटौती के लिए पात्र है। वर्ष के दौरान कटौती के लिए पात्र राशि ₹ 50,000 की अधिकतम सीमा और धारा 80EE की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है। टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस कटौती

धारा	कटौती की प्रकृति	निर्देश
		का दावा नहीं किया जा सकता है
80EEA	किसी गृह संपत्ति हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती	कृपया आवासीय गृह संपत्ति के अर्जन के प्रयोजन से 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान किसी वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में वर्ष के दौरान सन्दत्त की गई राशि दर्ज करें, जो धारा 80EEA के तहत कटौती के लिए पात्र है। वर्ष के दौरान कटौती के लिए पात्र राशि ₹ 150,000 की अधिकतम सीमा और धारा 80EE की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है। यदि धारा 80EE के तहत कटौती का दावा किया जाता है, तो धारा 80EEA के तहत कटौती की अनुज्ञात नहीं दी जाएगी। टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है
80EEB	विद्युत वाहन की खरीद के संबंध में कटौती।	कृपया विद्युत वाहन खरीदने के प्रयोजन से 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान किसी वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में वर्ष के दौरान सन्दत्त की गई राशि दर्ज करें, जो धारा 80EEB के तहत कटौती के लिए पात्र है। वर्ष के दौरान कटौती के लिए पात्र सन्दत्त राशि की अधिकतम सीमा ₹150,000 है। टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है
80G	कुछ निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दान देने के संबंध में कटौती	कृपया ड्रॉप-डाउन सूची में दी गई संबंधित तालिका में से वर्ष के दौरान धर्मार्थ संस्थाओं को दान की गई राशि या निर्दिष्ट निधि का विवरण दर्ज करें: तालिका A: बिना अहर्ता सीमा के दान 100% कटौती के

धारा	कटौती की प्रकृति	निर्देश
		हकदार हैं तालिका B: बिना अहर्ता सीमा के दान 50 % कटौती के हकदार हैं तालिका C: अहर्ता सीमा के अधीन दान 100% कटौती के हकदार हैं तालिका D: अहर्ता सीमा के अधीन दान 50% कटौती के हकदार हैं कृपया अनुसूची 80G भरें टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है
80GG	**सन्दत्त किराये के संबंध में कटौती**	कृपया कुल आय से 10% अधिक, वह राशि दर्ज करें जो वर्ष के दौरान साजसामान युक्त/गैर-साजसामान युक्त आवासीय आवास के संबंध में किराये के तौर पर दिया गया था, जो धारा 80GG के तहत कटौती के लिए पात्र है। वर्ष के दौरान, कटौती के लिए पात्र राशि ₹ 60,000 की अधिकतम सीमा और उसमें निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन है। कृपया इस कटौती का दावा करने के लिए फॉर्म 10BA को जमा करना सुनिश्चित करें। टिप्पणी: यदि धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है
80GGA	**वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास हेतु किए गए दान के संबंध में कटौती**	कृपया वर्ष के दौरान किसी अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण या एक अनुमोदित संस्था या वैज्ञानिक शोध करने वाली संस्था या सामाजिक विज्ञान में शोध या सांख्यिकीय अनुसंधान या ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन या किसी पात्र परियोजना या योजना को कार्यान्वित करने हेतु दी गयी दान की राशि दर्ज करें जो धारा 80GGA के तहत कटौती के लिए पात्र है। इस धारा के तहत दो हजार रुपये से अधिक की राशि के संबंध में कोई कटौती की अनुज्ञात नहीं दी जाएगी, जब तक कि नकद के अलावा किसी विधा द्वारा ऐसी राशि की भुगतान की जाती है जो 01.6.2020 से प्रभावी है।

धारा	कटौती की प्रकृति	निर्देश
		कृपया अनुसूची 80GGA भरें। टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है
80GGC	**किसी भी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए योगदान के संबंध में कटौती**	कृपया वर्ष के दौरान एक राजनीतिक दल या मतदाता न्यास में किए गए योगदान की राशि दर्ज करें जो कि धारा 80GGC के तहत कटौती के पात्र है। यह कटौती नकदी के रूप में योगदान की गई किसी भी राशि के लिए स्वीकार्य नहीं है। टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है
80TTA	**बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज के संबंध में कटौती**	कृपया बैंक या सहकारी बैंक या डाकघर में बचत खाते (खातों) में जमा राशि पर ब्याज के रूप में आय की राशि दर्ज करें जो धारा 80TTA के तहत कटौती के लिए पात्र है। धारा 80TTA के तहत कटौती के लिए पात्र राशि वर्ष के दौरान ₹ 10,000 की अधिकतम सीमा के अधीन है। टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है
80TTB	**वरिष्ठ नागरिकों के मामले में जमा राशि पर ब्याज के संबंध में कटौती**	इस कटौती का दावा केवल वरिष्ठ नागरिक द्वारा किया जा सकता है। यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं, तो कृपया बैंक या सहकारी बैंक या डाकघर के साथ जमा पर ब्याज के रूप में आय की राशि दर्ज करें जो कि धारा 80TTB के तहत कटौती के पात्र है। धारा 80TTB के तहत वर्ष के दौरान कटौती के लिए पात्र राशि रु. 50,000 की अधिकतम सीमा के अधीन है। टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है
80U	**विकलांग व्यक्ति के मामले में**	इस कटौती का दावा केवल एक निवासी व्यष्टि द्वारा किया

धारा	कटौती की प्रकृति	निर्देश
	कटौती	जा सकता है जिसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा विकलांग व्यक्ति के रूप में प्रमाणित किया गया है। यदि आप विकलांग व्यक्ति हैं, तो कृपया समुचित विकल्पों का चयन करके कटौती के लिए पात्र राशि दर्ज करें: 1. स्वयं विकलांग - ₹ 75,000 2. स्वयं गंभीर रूप से विकलांग - ₹ 1,25,000 टिप्पणी: यदि धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनी जाती है तो इस कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है

फ़ील्ड नंबर	क्षेत्र का नाम	निर्देश
C1	**कुल कटौतियाँ**	कृपया अध्याय VI-A के अंतर्गत दावा की गई कटौतियों की कुल मिलाकर राशि दर्ज करें।
C2	**Total Income (B4-C1)**	यह कुल आय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक स्वतः भरा जाने वाला फ़ील्ड है जिसकी संगणित सकल कुल आय *[B4]* के रूप में की जाती है, जिसे कुल कटौती *[C1] के दावे से घटाया जाता है।*
	छूट प्राप्त आय (रिपोर्टिंग के प्रयोजन हेतु)	ड्रॉप डाउन से उपयुक्त विकल्प का चयन करके कृपया आय का विवरण प्रदान करें जो कराधान में छूट का दावा करते हैं। यदि आय की अनेक मदों को छूट के रूप में रिपोर्ट किया जाना है, तो कृपया प्रत्येक आय का विवरण अलग पंक्ति में मद के रूप में दें। कृपया यह भी ध्यान दें कि फॉर्म ITR-1 में रिपोर्ट की जा सकने वाली कृषि आय की अधिकतम राशि रु.5,000 तक है। यदि आपके पास रु.5,000 से अधिक की कृषि आय है, तो कृपया अन्य नियमित ITR फॉर्म का उपयोग करें।
	अन्य प्रकार की आय में छूट की सूची *(ड्रॉपडाउन प्रदान किया जाएगा)*	कृषि आय (रु.5000 से कम)
		धारा 10(10BC)- किसी भी आपदा के कारण मुआवजे के रूप में केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी से मिली कोई राशि
		धारा 10(10D)- जीवन बीमा नीति के अंतर्गत प्राप्त कोई भी राशि, जिसमें निम्न धारा के उप-खंड (a) से (d) में उल्लिखित राशि को छोड़कर ऐसी नीति पर बोनस के रूप में आवंटित राशि शामिल है:10(10D)
		धारा 10(11) - प्राप्त कानूनी भविष्य निधि

फ़ील्ड नंबर	क्षेत्र का नाम	निर्देश
		धारा 10(12) - मान्यता प्राप्त भविष्य निधि
		धारा 10(13) - प्राप्त अनुमोदित अधिवार्षिक निधि
		धारा 10(16) - शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ
		धारा 10(17) - MP/ MLA/ MLC भत्ता
		धारा 10(17A)- सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार
		धारा 10(18)- "परम वीर चक्र" या "महा वीर चक्र" या "वीर चक्र" या ऐसे ही अन्य शौर्य पुरस्कार विजेता द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन
		रक्षा चिकित्सा विकलांगता पेंशन
		धारा 10(19)- ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान मौत की स्थिति में सशस्त्र सेना परिवार पेंशन
		धारा 10(26)- धारा 10(26) में निर्दिष्ट कोई भी आय
		धारा 10(26AAA)- धारा 10(26AAA) में निर्दिष्ट कोई भी आय
		किसी अन्य- यदि किसी अन्य तरह से छूट प्राप्त आय का मामला है, तो उपबंध की गई टेक्स्ट बॉक्स में विवरण दर्ज करें। 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है उपभाग 10(17)-MP/MLA/MLC को मिलने वाले भत्ते को छूट प्राप्त आय के रूप में दावा नहीं किया जा सकता।

<u>भाग- D – देय कर की संगणना</u>

फ़ील्ड नंबर	क्षेत्र का नाम	निर्देश
D1	**कुल आय पर देय कर**	कृपया नीचे दी गई कर संगणना तालिका के अनुसार कुल आय पर देय कर राशि की संगणना करें।
D2	**धारा 87A के तहत छूट**	यदि आप भारत के निवासी व्यष्टि हैं और आपकी कुल आय ₹, 500,000 से अधिक नहीं है, तो आप धारा 87A, के तहत आयकर पर देय राशि के बराबर या ₹ 12,500 में से जो भी कम हो तक छूट का दावा कर सकते हैं।
D3	**छूट के बाद कर**	कृपया छूट का दावा करने के बाद देय कर दर्ज करें (D1 – D2)।
D4	**स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @4%**	क़ृपया छूट के बाद कर में से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @4% की संगणना करें। (जैसे कि D3 का 4%)
D5	**कुल कर और उपकर**	कृपया छूट एवं स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के बाद कर की राशि दर्ज करें। (D3 + D4)
D6	**धारा 89 के तहत राहत (कृपया यह सुनिश्चित करें कि इसके तहत राहत का दावा करने के लिए आपने फ़ॉर्म 10E जमा कर दिया**	कृपया धारा 89, के तहत स्वीकार्य करमुक्ति राशि दर्ज करें जिसे फॉर्म 10E या फॉर्म 16 के भाग B में उल्लेखित अनुसार संगणित किया गया जो कि वर्ष भर के वेतन का बकाया या अग्रिम के संबंध में है।

फ़ील्ड नंबर	क्षेत्र का नाम	निर्देश
	है।)	
D7	**धारा 234A के तहत ब्याज**	कृपया धारा 234A के तहत आयकर विवरणी फ़ाइल करने में विलम्ब के कारण यदि ब्याज की कोई देय राशि है, तो उसकी संगणना करें।
D8	**धारा 234B के तहत ब्याज**	कृपया धारा 234B के प्रावधानों के तहत, अग्रिम कर के कम भुगतान के लिए देय ब्याज की राशि की संगणना करें
D9	**धारा 234C के तहत ब्याज**	कृपया धारा 234C के प्रावधानों के तहत, अग्रिम कर के आस्थगित संदाय के लिए देय ब्याज की राशि की संगणना करें। टिप्पणी: यदि लाभांश आय पर अग्रिम कर की किश्त पूरी नहीं भरी गई या भुगतान में विलम्ब हुआ है, तो धारा 234C के तहत ब्याज प्रभारित नहीं किया जा सकता। यदि निर्धारिती ने लाभांश आय पर संदेय कर की पूर्ण राशि सन्दत्त कर दी है, तो कुल आय का एक भाग जो कि अग्रिम कर की शेष किश्तों के भाग के रूप में है, जहाँ ऐसा नहीं है किश्तें वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक संदेय हैं। कुल आय में शामिल लाभांश आय की संगणना लाभांश आय और कुल आय' से कम के रूप में की जाएगी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, संगणित लाभांश आय 5 तिमाहियों में बांटी जाएगी और QTR 5 से QTR 1 अधिमान के आधार पर यह वितरण होगा, क्योंकि यह निर्धारिती के लिए अधिक हितप्रद है। 234C के तहत संगणना पावती आय पर की जाएगी, जिसकी संगणना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है: • QTR 1 (15 जून तक के लिए) - "लाभांश आय के अलावा कुल आय + QTR 1 में वितरित की गई लाभांश आय " • QTR 2 (16 जून से 15 सितंबर तक) - "लाभांश आय के अलावा कुल आय + QTR 1 और QTR 2 में वितरित की गई लाभांश आय" • QTR 3 (16 सितंबर से 15 दिसंबर तक)– "लाभांश आय के अलावा कुल आय + QTR 1, QTR 2 और QTR 3 में वितरित की गई लाभांश आय" • QTR 4 (16 दिसंबर से 15 मार्च) – "लाभांश आय के अलावा कुल आय + QTR 1, QTR 2, QTR 3 और QTR 4 में वितरित की गई लाभांश आय" • QTR 5 (16 मार्च से 31 मार्च तक) – "QTR 5 में वितरित की गई लाभांश आय
D10	**धारा 234F के तहत शुल्क**	कृपया बताएँ कि आयकर विवरणी फ़ाइल करने में विलम्ब के लिए धारा 234F के तहत देय फीस की राशि कितनी है।
D11	**कुल कर, फीस और ब्याज**	कृपया राहत का दावा करने के बाद बचे कर, फीस और ब्याज के लिए संदेय राशि की संगणना करें

फ़ील्ड नंबर	क्षेत्र का नाम	निर्देश
		(D5+D7+D8+D9+D10-D6)
D12	**कुल संदत्त कर**	कृपया अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, TDS और TCS के माध्यम से सन्दत्त कुल कर की राशि दर्ज करें। कृपया अनुसूची-IT और अनुसूची-TDS में से जो भी लागू हो उसे भरें।
D13	**देय राशि (D11–D12) (यदि D11 > D12)**	Please compute the net amount payable, if any, after claiming credit of taxes paid (D11-D12)
D14	**प्रतिदाय (D12 – D11) (यदि D12 > D11)**	Please compute the net amount refundable, if any, after claiming credit of taxes paid (D12-D11).

भाग- E – अन्य जानकारी (भारत में सभी बैंक खातों का विवरण)

कृपया पूर्व वर्षों के दौरान भारत में कभी भी आपके द्वारा धारित सभी बचत / चालू खातों का विवरण प्रदान करें। ऐसे सभी निष्क्रिय खातों का विवरण प्रदान करना अनिवार्य है जो 3 या इससे अधिक वर्ष से चालू नहीं हैं। कृपया उस खाते/ खातों का विवरण दें जिसमें आप प्रतिदाय पाना चाहते हैं, भले ही प्रतिदाय निश्चित हो या नहीं। दिया गया खाता संख्या बैंककारी पद्धति के कोर बैंकिंग समाधान (CBS) का ही होना चाहिए।	
क्षेत्र का नाम	**निर्देश**
बैंक का IFS कोड	कृपया बैंक का IFS कोड (11 अंकों का) दर्ज करें
बैंक का नाम	बैंक का नाम दर्ज करें
खाता संख्या	कृपया बैंक का खाता संख्या दर्ज करें

अनुसूची 80G- धारा 80G के तहत कटौती का हकदार दान का विवरण

कृपया अनुसूची में दिए गए निम्नलिखित तालिका में वर्ष भर में धर्मार्थ संस्थाओं या निर्दिष्ट निधियों को दिए गए दान का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें: -

1. आदाता का नाम और पता
2. आदाता का PAN
3. दान की कुल राशि - कृपया दान की राशि नकदी/ किसी अन्य ढंग से सन्दत्त विवरण प्रस्तुत करें
4. कटौती के लिए पात्र राशि

तालिका A में, अहर्ता सीमा मानदंड पूरा किए बिना भी 100% कटौती के हकदार दान का विवरण प्रस्तुत करना।
तालिका B में, अहर्ता सीमा मानदंड पूरा किए बिना भी 50 % कटौती के हकदार दान का विवरण प्रस्तुत करना।
तालिका C में, अहर्ता सीमा मानदंड के अधीन रहते हुए 100 % कटौती के हकदार दान का विवरण प्रस्तुत करना।
तालिका D में, अहर्ता सीमा मानदंड के अधीन रहते हुए 50% कटौती के हकदार दान का विवरण प्रस्तुत करना।

अनुसूची 80GGA - वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान का विवरण

कृपया अनुसूची में दिए गए निम्नलिखित तालिका में वर्ष भर में वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दिए गए सभी दान का विवरण प्रस्तुत करें: -

1. सुंसगत खंड जिसके अंतर्गत कटौती का दावा किया जाता है
2. आदाता का नाम और पता
3. आदाता का PAN
4. दान की कुल राशि - कृपया दान की राशि नकदी/ किसी अन्य ढंग से सन्दत्त विवरण प्रस्तुत करें
5. नकदी में दी गई दान की तारीख
6. कटौती के लिए पात्र राशि

अनुसूची 80D - स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती

फ़ील्ड नंबर	क्षेत्र का नाम	निर्देश
1	क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य (माता-पिता) को छोड़कर वरिष्ठ नागरिक है	अगर कोई सदस्य वरिष्ठ नागरिक है, तो 'हाँ' पर टिक लगाएँ नहीं तो 'नहीं' पर निशान लगाएँ
1a	स्वयं और परिवार	यह फ़ील्ड तभी दिखेगा जब आपने क्रम संख्या 1 में 'नहीं' पर टिक लगाया हो। यह एक स्वतः भरी जाने वाली फ़ील्ड है जहाँ खंड (i) और (ii) में दर्ज की गई राशि का कुल मिलाकर योग दिखता है। इस चालू वर्ष के दौरान कटौती के लिए पात्र सन्दत्त राशि की अधिकतम सीमा रु .25000 है।
(i)	स्वास्थ्य बीमा	कृपया इस वर्ष में स्वास्थ्य बीमा के लिए सन्दत्त राशि दर्ज करें।
(ii)	निवारक स्वास्थ्य जांच	निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए वर्ष भर में आपके द्वारा सन्दत्त राशि
1b	अपने अलावा परिवार जिसमें वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं	यह फ़ील्ड तभी उपलब्ध होगा जब क्रम संख्या 1 में आपने 'हाँ' पर टिक लगाया हो। यह स्वतः भरा जाने वाला फ़ील्ड है जिसमें फ़ील्ड (i), (ii) और (iii) में दर्ज की गई राशि कुल मिलाकर कितनी है, यह दर्शाता है। इस चालू वर्ष के दौरान कटौती के लिए पात्र सन्दत्त राशि की अधिकतम सीमा रु .50000 है।
(i)	स्वास्थ्य बीमा	कृपया इस वर्ष में स्वास्थ्य बीमा के लिए सन्दत्त राशि दर्ज करें।
(ii)	निवारक स्वास्थ्य जांच	निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए वर्ष भर में आपके द्वारा सन्दत्त राशि
(iii)	चिकित्सा सम्बन्धी व्यय (इस कटौती के लिए दावा (i) और ऊपर किया जा सकता है जहाँ स्वास्थ्य बीमा पर कटौती के लिए दावा नहीं कर सकते)	कृपया चिकित्सा सम्बन्धी व्यय के लिए वर्ष के दौरान सन्दत्त राशि दर्ज करें। इस कटौती के लिए दावा तभी किया जा सकता है जब ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य बीमा के लिए कोई राशि सन्दत्त नहीं की गई।

फ़ील्ड नंबर	क्षेत्र का नाम	निर्देश
2	क्या आपके माता-पिता में से कोई वरिष्ठ नागरिक हैं	यदि माता-पिता में से कोई वरिष्ठ नागरिक है, तो 'हाँ' पर टिक लगाएँ, अन्यथा 'नहीं' पर टिक लगाएँ
2a	माता-पिता	यह फ़ील्ड तभी दिखेगा जब आपने क्रम संख्या 2 में 'नहीं' पर टिक लगाया हो। यह एक स्वतः भरी जाने वाली फ़ील्ड है जहाँ खंड (i) और (ii) में दर्ज की गई राशि का कुल मिलाकर योग दिखता है। इस चालू वर्ष के दौरान कटौती के लिए पात्र सन्दत्त राशि की अधिकतम सीमा रु .25000 है।
(i)	स्वास्थ्य बीमा	कृपया इस वर्ष में स्वास्थ्य बीमा के लिए सन्दत्त राशि दर्ज करें।
(ii)	निवारक स्वास्थ्य जांच	निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए वर्ष भर में आपके द्वारा सन्दत्त राशि
2b	वरिष्ठ नागरिक सहित माता-पिता	यह फ़ील्ड तभी उपलब्ध होगा जब क्रम संख्या 2 में आपने 'हाँ' पर टिक लगाया हो। यह स्वतः भरा जाने वाला फ़ील्ड है जिसमें फ़ील्ड (i), (ii) और (iii) में दर्ज की गई राशि कुल मिलाकर कितनी है, यह दर्शाता है। इस चालू वर्ष के दौरान कटौती के लिए पात्र सन्दत्त राशि की अधिकतम सीमा रु .50000 है।
(i)	स्वास्थ्य बीमा	कृपया इस वर्ष में स्वास्थ्य बीमा के लिए सन्दत्त राशि दर्ज करें।
(ii)	निवारक स्वास्थ्य जांच	निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए वर्ष भर में आपके द्वारा सन्दत्त राशि
(iii)	चिकित्सा सम्बन्धी व्यय (इस कटौती के लिए दावा (i) और ऊपर किया जा सकता है जहाँ स्वास्थ्य बीमा पर कटौती के लिए दावा नहीं कर सकते)	कृपया चिकित्सा सम्बन्धी व्यय के लिए वर्ष के दौरान सन्दत्त राशि दर्ज करें। इस कटौती के लिए दावा तभी किया जा सकता है जब ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य बीमा के लिए कोई राशि सन्दत्त नहीं की गई।
टिप्पणी: निवारक स्वास्थ्य जाँच के लिए वर्ष में कटौती के लिए पात्र राशि की कुल मिलाकर अधिकतम सीमा रु .5000 है।		

<u>अनुसूची-IT: अग्रिम/स्व-निर्धारण कर भुगतान का विवरण</u>

कृपया अग्रिम कर या स्व-निर्धारण कर भुगतान का सुसंगत विवरण दर्ज करें।		
स्तंभ संख्या	**क्षेत्र का नाम**	**निर्देश**
1	**BSR कोड**	कृपया जिस बैंक में कर निक्षिप्त किया गया है उसका सात-अंकों का BSR कोड दर्ज करें।
2	**जमा करने की तारीख (DD/MM/YYYY)**	कृपया वह तिथि दर्ज करें जिसमें DD/MM/YYYY प्रारूप में कर जमा किया गया था।
3	**चालान क्रम संख्या**	कृपया चालान की क्रम संख्या दर्ज करें।
4	**सन्दत्त कर**	कृपया निक्षिप्त की गई कर राशि दर्ज करें।

<u>अनुसूची-TDS TDS/TCS का विवरण</u>

स्तंभ संख्या	क्षेत्र का नाम	निर्देश
1	**कटौतीकर्त्ता/ संग्रहकर्त्ता का TAN या अभिधारी का PAN/आधार नंबर**	कृपया कटौतीकर्त्ता/ संग्रहकर्त्ता का TAN दर्ज करें। यदि अभिधारी द्वारा कर की कटौती की गई है, तो अभिधारी को PAN/ आधार नंबर प्रदान करें।
2	**कटौतीकर्त्ता /संग्रहकर्त्ता/ अभिधारी का नाम**	कृपया कटौतीकर्त्ता/ संग्रहकर्त्ता/ अभिधारी का नाम दर्ज करें।
3	**सकल भुगतान/आवती जो कर कटौती/संग्रह के विषयाधीन हो**	कृपया भुगतान की सकल राशि या आवती दर्ज करें जिसके विषय में स्रोत पर कर काटा गया है या संग्रह किया गया है।
4	**कर कटौती/संग्रहण का वर्ष**	कृपया वह वर्ष दर्ज करें जिसमें कर की कटौती या स्रोत पर संग्रह किया गया है।
5	**कटौती/संग्रह किया गया कर**	कृपया वह राशि दर्ज करें जिसे स्रोत पर काटा या संग्रह किया गया है।
6	**इस वर्ष दावा किया गया(5) में से जमा TDS/TCS**	कृपया कटौतीकृत TDS या संग्रह की गई TCS की राशि दर्ज करें, जिसके लिए इस वर्ष क्रेडिट का दावा किया जा रहा है। कृपया सुनिश्चित करें कि इस वर्ष सुसंगत शीर्ष में समरूपी आय भी प्रस्तुत की गई है।

<u>सत्यापन:</u>

सत्यापन वाले भाग में, कृपया अपना नाम, पिता का नाम और विवरणी फ़ाइल करने वाले व्यक्ति का PAN दर्ज करें। आयकर अधिनियम की धारा 140 के खंड (a) के तहत उप-खंड (ii), (iii) और (iv) के तहत आयकर विवरणी किसी व्यक्ति के द्वारा खुद भी या किसी व्यक्ति की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा भी सत्यापित किया जा सकता है। हालाँकि ऐसे मामलों में प्राधिकृत व्यक्ति का स्थाई खाता संख्या का उल्लेख सत्यापन में करना ज़रूरी है और उपबंध की गई ड्रॉप डाउन में क्षमता का भी उल्लेख करना चाहिए।

सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पहले (जैसा कि ऊपर अनुभाग 5 में- <u>फ़ाइल करने और सत्यापन का तरीका बताया गया है</u>), कृपया यह सुनिश्चित करें कि विवरणी और अनुसूचियों में दी गई सूचना और कुल आय, कटौती राशि, दावा और अन्य विशिष्टियाँ सही हैं और आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार हैं। कृपया ध्यान दें कि विवरणी या साथ में दी गई अनुसूची में विवरण-पत्र में किसी भी तरह का मिथ्या बयान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के तहत अभियोजन के लिए दायी है

<u>TRP का विवरण:</u>

यह विवरणी कर विवरणी निर्माता (TRP) द्वारा तैयार कराया जा सकता है साथ ही कर विवरणी निर्माता योजना के तहत भी बनाया जा सकता है। यदि विवरणी TRP की ओर से तैयार किया गया है, तो सुसंगत विवरण उसके द्वारा ही भरा जाना चाहिए और विवरणी पर उपबंध की गई मद में प्रतिहस्ताक्षर ज़रूरी है।

<u>आयकर संगणना तालिका</u>

(A) व्यष्टि के मामले में (निवासी व्यष्टि के अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21-में किसी भी समय जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो

क्रम. सं.	आय	कर-दायित्व
1	₹2,50,000 तक	शून्य
2	₹2,50,001 – ₹5,00,000 के बीच	₹2,50,000 से आधिक्य की आय पर 5%
3	₹5,00,001 – ₹10,00,000 के बीच	₹12,500 + ₹5,00,000 से आधिक्य की आय का 20%
4	₹10,00,000 से अधिक	₹1,12,500 + ₹10,00,000 से आधिक्य की आय का 30%

(B) निवासी व्यष्टि के मामले में जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यष्टि की आयु किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक हो लेकिन 80 वर्ष या उससे कम हो–

क्रम. सं.	आय	कर-दायित्व
1	₹3,00,000 तक	शून्य
2	₹3,00,001 – ₹5,00,000 के बीच	₹3,00,000 से आधिक्य की आय पर 5%
3	₹5,00,001 – ₹10,00,000 के बीच	₹10,000 + ₹5,00,000 से आधिक्य की आय का 20%
4	₹10,00,000 से अधिक	₹1,10,000 + ₹10,00,000 से आधिक्य की आय का 30%

(C) निवासी व्यष्टि के मामले में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक हो–

क्रम. सं.	आय	कर-दायित्व
1	₹5,00,000 तक	शून्य
2	₹5,00,001 – ₹10,00,000 के बीच	₹5,00,000 से आधिक्य की आय पर 20%
3	₹10,00,000 से अधिक	₹1,00,000 + ₹10,00,000 से आधिक्य की आय का 30%

(D) व्यष्टि या HUF द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु धारा 115BAC के तहत नयी कर संरचना चुनने के मामले में

क्रम. सं.	आय	कर-दायित्व

1	₹2,50,000 तक	शून्य
2	₹2,50,001 – ₹5,00,000 के बीच	₹2,50,000 से आधिक्य की आय पर 5%
3	₹5,00,001 – ₹7,50,000 के बीच	₹12500_+ ₹5,00,000 से अधिक आय का 10%
4	₹7,50,001 – ₹10,00,000 के बीच	₹37,500 + ₹7,50,000 से आधिक्य की आय का 15%
5	₹10,00,001 – ₹12,50,000 के बीच	₹75,000 + ₹10,00,000 से आधिक्य की आय का 20%
6	₹12,50,001 – ₹15,00,000 के बीच	₹1,25,000 + ₹12,50,000 से आधिक्य की आय का 25%
7	₹15,00,000 से अधिक	₹1,87,500 + ₹15,00,000 से आधिक्य की आय का 30%

कागज़ी विवरणी

कागज़ी विवरणी के मामले में कुछ कॉलम में जानकारी स्वतः भर दी जाती है जिसकी संगणना करदाता को खुद ही करना होता है और मैन्युअल रूप से प्रस्तुत करना होता है।

ITR यूटिलिटी (ऑनलाइन या ऑफ़लाइन) में आय की विवरणी फ़ाइल करते करते समय याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु

त्रुटि प्रवर्ग पर आधारित ITR हेतु ई-फ़ाईलिंग/CPC की ओर से विधिमान्यकरण की प्रक्रिया की जानी चाहिए। प्रवर्ग A त्रुटि ऐसी त्रुटियाँ हैं जिसमें विवरणी अपलोड करने की अनुज्ञात नहीं दी जाती और करदाता को त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

ITR 1 के लिए प्रवर्ग A नियमों की सूची नीचे दी गई है:

Sl. No.	नियमों का वर्णन	ITR 1 के नियमों की रूप-रेखा
1.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं◌?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है तो धारा 80C, 80CCC & 80CCD (1) के तहत दावा किए गए कटौती की कुल राशि 1,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं◌?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और आय का विवरण अनुसूची के अनुसार क्रम संख्या B5(a),B5(b) और B5 (c) का योग 1,50,000 की राशि से अधिक है
2.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं◌?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और नियोक्ता प्रवर्ग पेंशनधारी है या लागू नहीं है, तो धारा 80CCD(1) के तहत कटौती सकल कुल आय	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं◌?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और आय का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड "B5(c) में उल्लिखित मूल्य फ़ील्ड क्रम संख्या B4

	के 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए	से 20% अधिक है और "नौकरी का प्रकार " "पेंशनधारी" या" लागू नहीं है" टिप्पणी : पूर्णांकन करना +1. (जैसे कि, यदि XML का मूल्य 1/- से अधिक है तो अस्थायी गणना मूल्य xml तक ही सीमित नहीं रहेगा)
3.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया हैऔर यदि नियोक्ता प्रवर्ग पेंशनधारी के अलावा या लागू नहीं है, तो धारा 80CCD(1) के तहत अधिकतम दावे की राशि वेतन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और आय का विवरण अनुसूची में, यदि नियोक्ता प्रवर्ग पेंशनधारी के अलावा है या लागू नहीं है तो मूल्य जैसा कि फ़ील्ड "B5(c) में दिया गया है वह 10% से अधिक नहीं हो सकता जैसा कि मूल्य फ़ील्ड " B1(iii)-B1(ib)" में वर्णित है यानि, (कुल वेतन-परिलब्धियों का मूल्य) टिप्पणी: यह नियम सिर्फ़ तभी लागू होगा जब पद्धति से गणना का मूल्य 80CCD(1)>0 हो टिप्पणी : पूर्णांकन करना +1. (जैसे, यदि XML का मूल्य अस्थायी गणना मूल्य के 1/- तक है तो यह xml तक ही प्रतिबंधित नहीं है)
4.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया हैऔर धारा 80CCD (2) के तहत कटौती केंद्र सरकार को छोड़कर नियोक्ता द्वारा वेतन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए	फ़ील्ड क्रम संख्या B5 (e) में उल्लिखित मूल्य फ़ील्ड "कुल वेतन - परिलब्धियाँ" (B1(iii)-B1(ib) में उल्लिखित मूल्य से 10% अधिक है और नियोक्ता की प्रकृति निम्नलिखित में से कोई है: राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अन्य टिप्पणी: यदि GTI शून्य के बराबर या उससे कम है तो, यह नियम छोड़ दिया जाएगा टिप्पणी : पूर्णांकन करना +1. (जैसे, यदि XML का मूल्य अस्थायी गणना मूल्य के 1/- तक है तो यह xml तक ही प्रतिबंधित नहीं है)
5.	यदि निर्धारिती ने धारा 80DD के तहत कटौती का दावा किया है तो पात्र प्रवर्ग में वर्णन देना	आय का विवरण अनुसूची में क्षेत्र क्रमांक B5 (g) पर मूल्य शून्य से अधिक है,

	अनिवार्य है	तदनुरूप समरूपी ड्रॉप डाउन शून्य है या उपबंध नहीं किया गया है
6.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है इसके बाद धारा 80DD के तहत प्रवर्ग "विकलांग आश्रित" हेतु दावे की राशि 75,000 के बराबर हो सकती है	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और आय का विवरण अनुसूची में B5(g) पर मूल्य को विकलांग आश्रित चुना गया है और फ़ील्ड B5(g) में मूल्य 75,000 से कम या उससे अधिक है **टिप्पणी : यदि GTI 75000 से कम है तो 80DD GTI तक अनुज्ञात होना चाहिए।**
7.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है इसके बाद धारा 80DD के तहत प्रवर्ग "विकलांग आश्रित" हेतु दावे की राशि 125,000 के बराबर हो सकती है	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और आय का विवरण अनुसूची में B5(g) पर मूल्य को विकलांग आश्रित चुना गया है और फ़ील्ड B5(g) में मूल्य 125,000 से कम या उससे अधिक है **टिप्पणी : यदि GTI 125000 से कम है तो 80DD GTI तक अनुज्ञात होना चाहिए।**
8.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है निवासी निर्धारिती धारा 80DDB के तहत रु. 1,00,000 से अधिक के लिए कटौती का दावा नहीं कर सकते हैं।	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और आय का विवरण अनुसूची में B5(h) पर "वरिष्ठ नागरिक - आत्म निर्भर या आश्रित" के रूप में चुना जाता है और फ़ील्ड B5(h) में मूल्य 1,00,000 से अधिक नहीं होना चाहिए
9.	यदि निर्धारिती धारा 80DDB के तहत कटौती का दावा करता है तो पात्र प्रवर्ग में वर्णन देना अनिवार्य है	आय का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड क्रम संख्या B5(h) पर मूल्य शून्य से अधिक है और समरूपी ड्रॉप डाउन शून्य है या उपबंध नहीं किया गया है
10.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है तब धारा 80DDB के तहत प्रवर्ग "स्वयं या आश्रित" हेतु अधिकतम 40,000 की राशि के लिए दावा किया जा सकता है	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और आय का विवरण अनुसूची में B5(h) के तहत मूल्य "स्वयं या आश्रित" के रूप में चुना जाता है और फ़ील्ड B5(h) में मूल्य 40,000 से अधिक है
11.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत

	नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और धारा 80G के तहत कटौती का दावा किया गया, अनुसूची 80G में विवरण प्रदान करें	नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और आय का विवरण अनुसूची में क्रम संख्या 5(m) में उल्लिखित मूल्य शून्य से अधिक है और अनुसूची 80G फ़ील्ड में दान की पात्र राशि A,B C,D और E में उल्लिखित मूल्य शून्य/ अमान्य हैंं
12.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और फिर अनुसूची 80G, तालिका F में, योग्यता सीमा के बिना 100% कटौती का हकदार होने के लिए दान की राशि का योग छूट की राशि के बराबर होना चाहिए + योग्यता सीमा के बिना 50% की हकदार दान की राशि + योग्यता सीमा के अधीन 100% की हकदार दान की राशि + योग्यता सीमा के अधीन रहते हुए 50% की हकदार दान की राशि	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है इसके बाद क्रम संख्या F (दान A+B+C+D) पर पात्र कटौती A में पात्र दान + B में पात्र दान + C में पात्र दान + D में पात्र दान के बराबर होनी चाहिए
13.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है इसके बाद अनुसूची VIA में, धारा 80G के तहत दावा की गई कटौती अनुसूची 80G में उल्लिखित दान की पात्र राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और आय का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड 5(m) में उल्लिखित मूल्य अनुसूची 80G के E में उल्लिखित मूल्य से अधिक है
14.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है निर्धारिती धारा 80TTA के तहत अधिकतम रु.10,000/- तक कटौती का दावा कर सकते हैं	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और आय का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड B5(q) उल्लिखित मूल्य रु.10,000 से अधिक है
15.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है उसके बाद धारा 80TTA धारा के तहत कटौती अन्य स्रोतों के तहत बचत खाता पर ब्याज से हुई आय से अधिक नहीं होनी चाहिए।	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है and In Schedule Income details value at field Sr. no. 5(q) is more than value mentioned in the field Sr. no. B3 (If drop down selected is "Interest from savings bank account")
16.	धारा 80TTA के तहत कटौती का दावा वरिष्ठ नागरिक नहीं कर सकते (जिनकी जन्मतिथि 02.04.1961 या इसके बाद है)	यदि आय का विवरण अनुसूची में दिए वैयक्तिक जानकारी के अनुसार जन्मतिथि 60 वर्ष या उससे अधिक है और भाग C में मूल्य और आय का विवरण अनुसूची के फ़ील्ड Sr.no 5(q) में कराधेय कुल आय शून्य से अधिक होगा।

17.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंः?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है उसके बाद निर्धारिती धारा 80TTB के अंतर्गत कटौती के लिए दावे की अधिकतम राशि रु.50,000/- हो सकती है	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंः?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और आय का विवरण अनुसूची में दी गई निजी जानकारी के अनुसार जन्मतिथि 02.04.1961 से पूर्व है और फ़ील्ड B5(r) में मूल्य रु. 50,000 से अधिक होना चाहिए
18.	निर्धारिती की आयु 60 वर्ष से कम होने पर कटौती का दावा धारा 80TTB के तहत नहीं किया जा सकता (जन्मतिथि 02.04.1961 से पहले)	आय का विवरण अनुसूची में निर्धारिती की आयु वैयक्तिक जानकारी के अनुसार 60 वर्ष से कम है और फ़ील्ड B5(r) में मूल्य शून्य से अधिक होना चाहिए।
19.	निर्धारिती वरिष्ठ नागरिक होने के कारण धारा 80TTB के तहत अन्य स्रोत से ब्याज पर आय के अलावा कटौती का दावा नहीं कर सकता	अनुसूची भाग A में जन्म की सामान्य तिथि वैयक्तिक जानकारी में 02.04.1961—से पहले है और फ़ील्ड B5(r) में मूल्य फ़ील्ड "बचत खाता पर ब्याज" और आय का विवरण अनुसूची के B3 में दिए ""जमा राशि से आय (बैंक/डाकघर/सहकारी समिति)" में दर्ज मूल्य के योग से अधिक है
20.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंः?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है फिर धारा 80U के तहत प्रवर्ग "स्वयं गंभीर अशक्तता" में दावा राशि 125,000 के बराबर होना चाहिए	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंः?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है आय का विवरण अनुसूची में B5(s) में "स्वयं गंभीर विकलांग" मूल्य चुना गया है और फ़ील्ड B5(s) में मूल्य 125,000 से कम या अधिक है **टिप्पणी : यदि GTI 125000 से कम है, तो 80U GTI तक अनुज्ञात होना चाहिए।**
21.	यदि निर्धारिती धारा 80U के अंतर्गत कटौती का दावा कर रहा है तो पात्र प्रवर्ग का वर्णन प्रदान करना अनिवार्य है	आय का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड क्रम संख्या B5(s) में मूल्य शून्य से बड़ा नहीं है, समरूपी ड्रॉप डाउन में शून्यहै या उपबंध नहीं किया गया है
22.	अध्याय VI-A के तहत कटौती की कुल राशि GTI तक प्रतिबंधित व्यक्तिगत कटौती के बराबर होना चाहिए	आय का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड B4 में मूल्य शून्य से अधिक है, और फ़ील्ड B6- में "कुल कटौती" मूल्य फ़ील्ड (B5(a) से B5(s) या B4 में से जो भी कम हो, इसके कुल मूल्य के बराबर नहीं है।
23.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंः?' के लिए विकल्प	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंः?' के

	'नहीं' चुना गया है तब वह राशि जो "स्वयं विकलांग हैं" प्रवर्ग हेतु धारा 80U के तहत कटौती के लिए दावा की जा सकती है वह 75,000 के बराबर होनी चाहिए	लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और आय का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड B5(s) में "स्वयं विकलांग हैं" के तौर पर चुना गया है और फ़ील्ड B5(s) में मूल्य 75,000 से कम या ज़्यादा है **टिप्पणी : यदि GTI 75000 से कम है तो 80U GTI तक अनुज्ञात होना चाहिए।**
24.	अध्याय VI-A के तहत कटौती का दावा "सकल कुल आय" से अधिक नहीं होना चाहिए	In schedule Income details Sr. no B6 is more than sr no. B4 टिप्पणी : यह नियम तभी लागू होगा जब B6>0।
25.	ITR-1 - ITR में करदाता का दिया "नाम" PAN डेटा बेस के "नाम" से नहीं मिलता है (यह अपलोड के समय सत्यापित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि दर्ज किया गया नाम PAN कार्ड में दिख रहा है)	आय का विवरण अनुसूची की साधारण जानकारी के भाग A में उल्लिखित नाम PAN डेटा बेस में दर्ज नाम से मेल नहीं खाता
26.	यदि कर दायित्व को संगणित और सन्दत्त किया गया है तो विवरणी में दर्ज "सकल कुल आय" और आय के शीर्ष शून्य से अधिक होने चाहिए	Income and Deduction - Income from Salary (B1v)AND Income from HP(B2vii) AND Income from OS(B3) AND GROSS TOTAL INCOME (B4)is Zero OR NULL और कर संगणना अनुसूची में - कुल आय या कुल कर और उपकर पर देय कर शून्य से अधिक है और सन्दत्त कर अनुसूची में यदि अग्रिम कर 100 से अधिक है या SAT 100 से अधिक है या TDS 100 से अधिक है।
27.	"आय का विवरण" और "कर संगणना" प्रकटित किया जाना चाहिए जहाँ "कर सन्दत्त" के बारे में विवरण दिया गया है।	आय का विवरण अनुसूची के भाग B में सकल कुल आय B1 से B4 तक सभी फ़ील्ड शून्य/ अमान्य हैं और करमुक्त आय में क्रम संख्या B7 के सभी फ़ील्ड शून्य/ अमान्य हैं और In Tax computation all the fields from Sr. no. D1-D5 are ZERO or NULL और In Tax Computation any field of Total Taxes paid Sr no. D12 is zero or null टिप्पणी:-अनुसूची TCS को अपवर्जित

		रखा गया है क्योंकि ऐसा मामला हो सकता है जहाँ कर 206C(1D) और Sec206C(1F) के अनुसार एकत्र किया गया हो और निर्धारिती के पास कराधेय आय नहीं है। आय का विवरण अनुसूची में - Sr.no B1(i) के वेतन से आय शून्य या अमान्य है और B2 (i) + B2(vi) HP से होने वाली आय शून्य या अमान्य है और OS (B3) से होने वाली आय शून्य/ अमान्य है और सकल कुल आय (B4) शून्य से कम या शून्य/ अमान्य के बराबर है और करमुक्त आय (रिपोर्टिंग के प्रयोजन से) शून्य/ अमान्य के बराबर है और भाग-D में देय कर की संगणना, कर फ़ील्ड क्रम संख्या 8 से क्रम संख्या12 शून्य/ अमान्य के बराबर हैं और वेतन पर TDS अनुसूची में, TDS का दावा "कर कटौती" पंक्ति में 100 से अधिक है या वेतन के अलावा अन्य आय पर TDS का दावा है, तो दावाकृत TDS चालू वर्ष के दौरान किया गया है यानी स्तंभ संख्या (6) का योग 100से अधिक है या अनुसूची TDS में (करदाता(ओं) द्वारा प्रस्तुत फॉर्म 16C के अनुसार), वर्ष के दौरान TDS का दावा किया गया है यानी स्तंभ संख्या (6) का योग 100से अधिक है। या क्रम संख्या 23(a) पर कुल संदत्त अग्रिम कर शून्य से ज़्यादा है
28.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है तब सकल कुल आय वेतन, गृह संपत्ति और अन्य स्रोतों से कुल आय के बराबर होनी चाहिए।	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और आय का विवरण अनुसूची में (B1(vi)+B2(vii)+B3) B4 के बराबर नहीं

		है
29.	धारा 87A के तहत छूट का दावा निवासी व्यष्टि द्वारा नहीं किया जा सकता है जिसकी कुल आय रु.5,00,000 से अधिक हो	भाग B अनुसूची के फ़ील्ड Sr.no 7 में सकल कुल मूल्य 5,00,000 से अधिक है और आय का विवरण अनुसूची के फ़ील्ड Sr.No.9 में मूल्य शून्य से अधिक है
30.	कुल आय "सकल कुल आय" और "कुल कटौती" के बीच का अंतर होना चाहिए या शून्य होना चाहिए यदि कुल आय घटा कटौती नकारात्मक है	In schedule Income details value at field sr.no.B7 should be difference between value at field sr.no. B4 and B6 या Zero if (B4-B6) is negative टिप्पणी : +5 और -5 का पूरा जोड़ करना I (यानी, परिकलित मूल्य +5 और -5 के बीच किसी भी मूल्य को अपलोड करने के लिए अनुज्ञात करना) टिप्पणी - यदि विचरण +100 और -100 तक है तो अपलोड को प्रतिबंधित न करें
31.	"छूट के बाद कर" की राशि "कुल आय पर देय कर" में से "धारा 87A के तहत छूट" को घटाने के बाद बची राशि के बराबर होनी चाहिए	आय का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड B10 में मूल्य B8 और B9 के बीच अंतर के बराबर नहीं है यदि B8 >= B9 I If B8 < B9, then B10 = 0.
32.	null"कुल कर और उपकर" की राशि "छूट के बाद कर" और "स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के योग के बराबर होनी चाहिए	आय का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड B12 पर मूल्य फ़ील्ड B10 और B11 में उल्लिखित मूल्य राशि के योग के बराबर नहीं है
33.	"कुल कर, शुल्क और ब्याज", "कुल कर और उपकर + धारा 234A + धारा 234B+ धारा 234C + धारा 234F के तहत ब्याज - धारा 89 के तहत छूट" के बराबर होना चाहिए	In schedule Income Details value mentioned at the field"B17" is not equal to sum of values in the fields (B12+B16-B13)
34.	"आय का विवरण अनुसूची" में कुल ब्याज, देय शुल्क, धारा 234 A के तहत ब्याज+ धारा 234 B के तहत ब्याज+ धारा 234 C के तहत ब्याज + धारा 234F के तहत शुल्क के बराबर होना चाहिए	In schedule Income Details value mentioned in S. No. B16 is not equal with sum of values mentioned in S. No. 15(Interest u/s 234 A+ Interest u/s 234 B+ Interest u/s 234 C+ Fee u/s 234F)
35.	धारा 89 के तहत छूट का दावा करने के लिए फॉर्म 10IE फ़ाइल किया जाना चाहिए	आय का विवरण अनुसूची में, धारा 89(1) के तहत छूट केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब निर्धारिती द्वारा फॉर्म10E फ़ाइल किया जाता है
36.	छूट के रूप में दिखाई गई कृषि आय रु 5000/- से अधिक नहीं हो सकती है	आय का विवरण अनुसूची में करमुक्त आय में - कृषि आय के लिए छूट के रूप में दिखाया मूल्य 5,000 से अधिक है

37.	"आय का विवरण अनुसूची" में छूट प्राप्त आय, छूट प्राप्त आय के व्यष्टि कॉ. में दर्ज राशि के योग के बराबर होनी चाहिए।	"आय का विवरण" अनुसूची में छूट प्राप्त आय, छूट प्राप्त आय के व्यष्टि कॉ. में दर्ज राशि के बराबर होनी चाहिए।
38.	धारा 10(10BC)- केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत किसी भी आपदा के कारण क्षतिपूर्ति के रूप में राशि का चयन छूट प्राप्त आय के तहत ड्रॉप-डाउन में एक बार से अधिक नहीं किया जा सकता है।	आय का विवरण अनुसूची में धारा 10(10BC)- केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत किसी भी आपदा के कारण क्षतिपूर्ति की राशि को छूट प्राप्त आय के तहत ड्रॉप डाउन में एक से अधिक बार चुना जाता है
39.	धारा 10(10D)- जीवन बीमा नीति के अंतर्गत प्राप्त कोई भी राशि, जिसमें निम्न धारा के उप-खंड (a) से (d) में उल्लिखित राशि को छोड़कर ऐसी नीति पर बोनस के रूप में आवंटित राशि शामिल है:10(10D)" छूट प्राप्त आय के अंतर्गत ड्रॉप-डाउन एक से अधिक बार नहीं चुना जा सकता है।	आय का विवरण अनुसूची में -धारा 10(10D)- जीवन बीमा नीति के अंतर्गत प्राप्त कोई भी राशि, जिसमें धारा के उप-खंड (a) से (d) में उल्लिखित राशि को छोड़कर ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आवंटित राशि शामिल है।10(10D)" ड्रॉप-डाउन में छूट प्राप्त आय के अंतर्गत एक से अधिक बार चुना जाता है
40.	धारा 10(11)-प्राप्त की गई कानूनी भविष्य निधि को ड्रॉप-डाउन में छूट प्राप्त आय के अंतर्गत एक बार से अधिक नहीं चुना जा सकता है।	आय का विवरण अनुसूची में -धारा 10(11)-प्राप्त कानूनी भविष्य निधि को ड्रॉप-डाउन में छूट आय के अंतर्गत एक से अधिक बार चुना गया है
41.	धारा 10(12)-मान्यता प्राप्त भविष्य निधि को ड्रॉप-डाउन में छूट प्राप्त आय के अंतर्गत एक बार से अधिक नहीं चुना जा सकता है।	आय का विवरण अनुसूची में धारा 10(12)-मान्यता प्राप्त भविष्य निधि को ड्रॉप-डाउन में छूट प्राप्त आय के अंतर्गत एक से अधिक बार चुना गया है
42.	धारा 10(13)-प्राप्त अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि को ड्रॉप-डाउन में छूट प्राप्त आय के अंतर्गत एक से अधिक बार नहीं चुना जा सकता है।	आय का विवरण अनुसूची में धारा 10(13) में-प्राप्त अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि को ड्रॉप-डाउन में छूट प्राप्त आय के अंतर्गत एक से अधिक बार चुना गया
43.	धारा 10(16)-शिक्षा लागत को पूरा करने के लिए अनुदत्त छात्रवृत्ति को ड्रॉप-डाउन में छूट प्राप्त आय के अंतर्गत एक से अधिक बार नहीं चुना जा सकता है।	आय का विवरण अनुसूची में -धारा 10(16)-शिक्षा लागत पूरा करने के लिए अनुदत्त छात्रवृत्ति को ड्रॉप-डाउन में छूट प्राप्त आय के अंतर्गत एक से अधिक बार चुना गया है।
44.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है इसके बाद धारा 10(17)-MP/MLA/MLC भत्ता को ड्रॉप-डाउन में छूट प्राप्त आय के अंतर्गत एक से अधिक बार नहीं चुना जा सकता है।	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और आय का विवरण अनुसूची में धारा 10(17)-MP/MLA/MLC भत्ता ड्रॉप-डाउन में छूट प्राप्त आय के अंतर्गत एक से अधिक बार चुना गया
45.	धारा 10(18)- "परम वीर चक्र या "महा वीर चक्र" या "वीर चक्र" या ऐसे अन्य शौर्य	अनुसूची आय ब्यौरा में अनुभाग 10(18)- "परम वीर चक्र या "महा वीर चक्र" या

	पुरस्कार" के तहत प्राप्त पेंशन को ड्रॉप-डाउन में छूट प्राप्त आय के अंतर्गत एक से अधिक बार नहीं चुना जा सकता है।	"वीर चक्र" या ऐसे अन्य शौर्य पुरस्कार" के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन को ड्रॉप-डाउन में छूट प्राप्त आय के तहत एक बार से अधिक के लिए नहीं चुना जा सकता है
46.	रक्षा चिकित्सा संबंधी अशक्तता पेंशन को छूट प्राप्त आय के अंतर्गत ड्रॉप-डाउन में एक बार से अधिक नहीं चुना जा सकता है।	आय का विवरण अनुसूची में रक्षा चिकित्सा संबंधी अशक्तता पेंशन को ड्रॉप-डाउन में छूट आय के अंतर्गत एक से अधिक बार चुना गया है
47.	धारा 10(19)-ऑपरेशनल ड्यूटी के समय मृत्यु के मामले में सशस्त्र सेना बल का परिवार पेंशन को छूट प्राप्त आय के अंतर्गत ड्रॉप डाउन एक बार से अधिक नहीं चुन सकते	आय का विवरण अनुसूची में -धारा 10(19)-ऑपरेशनल ड्यूटी के समय मृत्यु के मामले में सशस्त्र सेना बल का परिवार पेंशन को छूट प्राप्त आय के अंतर्गत ड्रॉप-डाउन में एक बार से अधिक चुना है
48.	धारा 10(26)-धारा 10(26)में निर्दिष्ट किसी भी तरह की आय को छूट प्राप्त आय के अंतर्गत ड्रॉप-डाउन में एक बार से अधिक नहीं चुना जा सकता है। (विवरणी तैयार करते समय करदाताओं को यह संदेश दिखाया जाना चाहिए कि यह कटौती कतिपय NE क्षेत्र और लद्दाख के कुछ निश्चित प्रवर्ग के करदाताओं के लिए उपलब्ध है)	आय का विवरण अनुसूची में धारा 10(26) में निर्दिष्ट किसी भी आय को छूट प्राप्त आय के अंतर्गत एक से अधिक बार चुना गया है
49.	धारा 10(26AAA)-धारा 10(26AAA)-में निर्दिष्ट किसी भी तरह की आय को छूट प्राप्त आय के अंतर्गत ड्रॉप-डाउन में एक से अधिक बार नहीं चुना जा सकता है। (विवरणी तैयार करते समय करदाताओं को यह संदेश दिखाया जाना चाहिए कि यह कटौती सिक्किम के कतिपय निर्धारितियों के लिए उपलब्ध है)	आय का विवरण अनुसूची में- धारा 10(26AAA) में निर्दिष्ट किसी भी प्रकार की आय को छूट प्राप्त आय के अंतर्गत ड्रॉप-डाउन में एक से अधिक बार चुना गया है
50.	गृह संपत्ति पर अनुज्ञात मानक कटौती वार्षिक मूल्य के 30% के बराबर होनी चाहिए।	आय का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड "B2 iv" में मूल्य "B2 iii" पर मूल्य के 30% के बराबर नहीं है Note 1: This rule will not be applicable if value at B2iii < 0 Note 2: Rounding off +2 and -2.
51.	यदि निर्धारिती नगरपालिका कर का दावा कर रहा है तो वहाँ सकल किराया प्राप्य/प्राप्त करने योग्य/ किराये के लिए मूल्य शून्य/ अमान्य से अधिक होना चाहिए	आय का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड "B2 (ii)" में मूल्य शून्य से अधिक है और फ़ील्ड "B2 (i)" पर मूल्य शून्य या अमान्य है
52.	करदाता ने संपत्ति के प्रकार को किराए पर संदत्त या किराए पर मान्य के रूप में चुना है, तो प्राप्त सकल किराया / प्राप्य / किराए पर	आय का विवरण अनुसूची में गृह संपत्ति" का प्रकार "किराए पर मान्य" या "किराए पर संदत्त" है

	लेने योग्य मूल्य शून्य से अधिक होना चाहिए	और फ़ील्ड "B2(i)" पर मूल्य शून्य या अमान्य है।
53.	In Schedule Gross Total Income, Sl.no B2iii. Annual Value should be output of SL.no B2i-B2ii	आय का विवरण अनुसूची में मूल्य B2(iii) में B2(i)-B2(ii) के अंतर के बराबर नहीं है
54.	In Schedule Gross total Income, Sl.no B2vii.Income chargeable under the head 'House Property' (iii – iv-v + vi) should be equal to sum of B2iii- B2iv-B2v+B2vi or The sum of Individual values under the head of House Property cannot be different from the "Income chargeable under the head House Property".	In schedule Income Details value at B2(vii) is not equal to value of "B2iii- B2iv-B2v+B2vi" टिप्पणी : यदि परिणाम <0, है तो हमें 200000 तक प्रतिबंधित करना होगा
55.	'क्या धारा 115BAC के तहत आप नई कर नीति चुन रहे हैं? के जवाब में 'नहीं' का विकल्प चुना गया है और अनुसूची HP में, यदि "गृह संपत्ति का प्रकार" को "स्व-अध्यासित" के रूप में चुना जाता है, तो निर्धारिती रु2,00,000 से अधिक उधार ली गई पूँजी पर ब्याज का दावा नहीं कर सकता है,	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और आय का विवरण अनुसूची में - अनुसूची HP, "गृह संपत्ति का प्रकार" को "स्व-अध्यासित" के रूप में चुना गया है, और फ़ील्ड B2(v) में मूल्य 2,00,000 से अधिक है
56.	"आय का विवरण अनुसूची" में स्थानीय प्राधिकरणों को सन्दत्त कर को "स्व-अध्यासित" प्रकार के गृह संपत्ति के रूप में भुगतान अनुज्ञात नहीं किया जाएगा	आय का विवरण अनुसूची में यदि गृह संपत्ति का प्रकार "स्व-अध्यासित के रूप में चुना गया है और फ़ील्ड B2(ii) में मूल्य शून्य से अधिक है
57.	"बचत खाता पर ब्याज" को अन्य स्रोतों से आय के अंतर्गत ड्रॉप-डाउन में एक बार से अधिक नहीं चुना जा सकता है	आय का विवरण अनुसूची में B.3 में "बचत खाता पर ब्याज" अन्य स्रोतों से आय के अंतर्गत एक से अधिक बार चुना गया है
58.	"जमा राशि पर ब्याज (बैंक/पोस्ट ऑफ़िस/सहकारी समिति)" को ड्रॉप-डाउन में अन्य स्त्रोतों से आय के अंतर्गत एक से अधिक बार नहीं चुना जा सकता है	आय का विवरण अनुसूची में B3 के तहत जमा राशि पर ब्याज (बैंक/ पोस्ट ऑफ़िस/ सहकारी समिति) को ड्रॉप-डाउन में अन्य स्त्रोतों से आय के अंतर्गत एक से अधिक बार चुना गया है
59.	"आय का विवरण" अनुसूची में अन्य स्रोतों से आय व्यष्टि कॉ. में दर्ज अन्य स्रोतों से आय की राशि के योग के बराबर होनी चाहिए	"आय का विवरण" अनुसूची में sr.no B3 में उल्लिखित मूल्य बचत खाता पर ब्याज की राशि के बराबर नहीं है, जमा पर ब्याज की कटौती धारा 57(iia) के तहत घटाया गया है
60.	"आय का विवरण अनुसूची" में धारा 57(iia) के तहत कटौती को सिर्फ़ तभी अनुज्ञात किया जा	आय का विवरण अनुसूची में ड्रॉप डाउन में "परिवार पेंशन" शून्य है और धारा

	सकता है जब "परिवार पेंशन" कर के लिए प्रस्तुत किया गया हो और 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर नीति का चयन करते हैं? के लिए विकल्प 'नहीं' का चयन किया गया हो	57(iia) के तहत कटौती शून्य से अधिक है।
61.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है then Deduction u/s 57(iia) cannot be more than lower of 1/3rd of Family pension or Rs. 15,000.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है and In schedule Income Details value at field"B3-Deduction u/s 57(iia) is more than 15,000 or more than 1/3 rd. of value mentioned at field "family Pension" टिप्पणी: +1और -1. को पूर्णांकित करना
62.	आयकर विवरणी प्रतिदाय पर मिला ब्याज और अन्य स्त्रोतों से आय ड्रॉप-डाउन में एक से अधिक बार नहीं चुना जा सकता।	आय का विवरण अनुसूची Sr.no.3 में "आयकर विवरणी प्रतिदाय पर मिला ब्याज" ड्रॉप-डाउन में अन्य स्त्रोतों के अंतर्गत आय को एक से अधिक बार चुना जाता है
63.	अन्य स्त्रोतों के अंतर्गत आय को परिवार पेंशन ड्रॉप-डाउन को एक से अधिक बार नहीं चुना जा सकता है।	आय का विवरण अनुसूची में Sr.no.3 में परिवार पेंशन ड्रॉप-डाउन" में अन्य स्रोतों से आय के अंतर्गत एक से अधिक बार चुना गया है
64.	करदाता ने वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक के आधार पर फायदा का दावा किया है, लेकिन जन्मतिथि PAN डेटाबेस से मेल नहीं खा रही है	आय का विवरण अनुसूची के भाग A सामान्य जानकारी में उल्लिखित जन्मतिथि, PAN डेटा बेस में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती है
65.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है then For Central and State Govt , PSU employees, the Entertainment allowance u/s 16(ii) will be allowed to the extent of Rs 5000 or 1/5th of Salary whichever is lower	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और भाग B अनुसूची में नियोक्ता की वैयक्तिक सूचना प्रवर्ग में सकल कुल "केंद्र सरकार" या "राज्य सरकार" या PSU के रूप में चुना गया है और value at field Sr. No.B1(iv)(b)of schedule Salary is more than Rs. 5,000 or 1/5th of salary u/s 17 (1) i.e. B1(ia) of schedule Income Details - Part B- Gross Total Income- Salary. टिप्पणी: कुल जोड़ +1 और -1 ।
66.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत

	नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है उसके बाद केंद्र, राज्य सरकार और PSU को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को धारा 16(ii) के तहत मनोरंजन भत्ता नहीं दिया जाएगा	नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और यदि नियोक्ता प्रवर्ग का चयन केंद्र सरकार, राज्य सरकार या PSU के रूप में नहीं किया गया और आय का विवरण अनुसूची के फ़ील्ड क्रम संख्याB1(iv)(b) पर मूल्य- भाग B- सकल कुल आय- वेतन शून्य से अधिक है
67.	सकल वेतन धारा 17(1) और परिलब्धियों के मूल्य के अनुसार धारा 17(2) और धारा 17(3) वेतन के बदले में लाभ	In schedule Income details value mentioned at Sr. no.B1(i) of schedule salary is not equal to sum of values mentioned in Sr. no. B(1)(i)(a), B(1)(i)(b), B(1)(i)(c)
68.	"सकल कुल आय" अनुसूची में, 'कुल वेतन', 'सकल वेतन' और धारा 10 के तहत छूट प्राप्त भत्तों का अंतर होना चाहिए।	In schedule Income details value mentioned at Sr. no. B1(iii) is not equal to difference of B1(i)-B1(ii) of schedule salary टिप्पणी : यदि (i) - (ii) < 0, तो वेतन अनुसूची में (iii) को शून्य तक प्रतिबंधित करें
69.	सकल कुल आय अनुसूची के अंतर्गत, धारा 16 के तहत B1 (iv) कटौती, B1 (iva+ivb+ivc) के योग के बराबर होनी चाहिए	वेतन अनुसूची में B1(iv) पर उल्लिखित मूल्य B1(iva+ivb+ivc) के योग के बराबर नहीं है
70.	In Schedule Gross Total Income, Sl.no B1v Income chargeable under Salaries should be (B1iii– B1iv)	आय का विवरण अनुसूची में B1(v) में उल्लिखित मूल्य, वेतन अनुसूची में B1(iii)-B1(iv) के अंतर के बराबर नहीं है। टिप्पणी : यदि परिणाम नकारात्मक है, तो शून्य पर सीमित करें।
71.	"धारा 10के तहत छूट प्राप्त सभी भत्तों की कुल राशि सकल वेतन से अधिक नहीं हो सकती है"।	In schedule Income details Value mentioned at sr.noB1(ii) is more than the value of field B1 in schedule Salary
72.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है धारा 10[5] के तहत छूट- अवकाश यात्रा रियायत/मदद, धारा 17(1) के अनुसार वेतन में संबंधित आय से अधिक नहीं होनी चाहिए	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है and In schedule Income details value mentioned at s. no. B1(ii) for dropdown 10(5)- Leave Travel concession/assistance is more than the value mentioned at field "B1(ia) of schedule salary

73.	धारा 10(6) में छूट भत्ता- एक अधिकारी के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक, एक दूतावास, उच्चायोग आदि के किसी भी नाम से जाना जाता है।" यह सकल वेतन से अधिक नहीं होता है।	आय का विवरण अनुसूची में ड्रॉपडाउन 10(6) के लिए क्रम संख्या B1(ii) में उल्लिखित मूल्य - एक अधिकारी के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक, एक दूतावास, उच्चायोग आदि के किसी भी नाम से जाना जाता है, फ़ील्ड "B1" में उल्लिखित मूल्य से अधिक है।"
74.	धारा 10(7) के तहत भत्ते में छूट- भारत के बाहर सेवा प्रदान करने के लिए भारत के नागरिक को सरकार द्वारा भारत के बाहर संदत्त या अनुमत भत्ते या परिलब्धियाँ सकल वेतन से अधिक नहीं हो सकती।	आय का विवरण अनुसूची में क्रम संख्या B1(ii) में उल्लिखित मूल्य ड्रॉपडाउन 10(7) के लिए - भारत के बाहर सेवा प्रदान करने के लिए भारत के नागरिक को सरकार द्वारा भारत के बाहर संदत्त या अनुमत भत्ते या परिलब्धियाँ फ़ील्ड "B1(i)" में उल्लिखित मूल्य से अधिक है।
75.	धारा 10(10) के तहत भत्ते में छूट - प्राप्त मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति" उपदान 20,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।	आय का विवरण क्रम संख्या B1(ii) में उल्लिखित मूल्य, ड्रॉपडाउन 10(10) के लिए - प्राप्त मृत्यु- सह-सेवानिवृत्ति उपदान 20,00,000लाख से अधिक है।
76.	धारा 10(10A) के तहत भत्ते में छूट-प्राप्त पेंशन का लघुकृत मूल्य धारा 17(1) के अनुसार वेतन से अधिक नहीं हो सकता है	आय का विवरण अनुसूची में ड्रॉपडाउन 10(10A) के लिए क्रम संख्या B1(ii) पर उल्लिखित मूल्य - प्राप्त पेंशन का लघुकृत मूल्य, फ़ील्ड "B1(ia)" पर उल्लिखित मूल्य से अधिक है।
77.	धारा 10(10AA) के तहत भत्ते में छूट-सेवानिवृत्ति पर अर्जित छुट्टी नकदीकरण धारा 17(1) के अनुसार वेतन से अधिक नहीं हो सकता (विवरणी तैयार करते समय करदाताओं को यह संदेश दिखाया जाएगा कि PSU सहित गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम कटौती केवल 3लाख रुपये है)।	आय का विवरण अनुसूची में ड्रॉपडाउन 10(10AA) के लिए क्रम संख्या B1(ii) में उल्लिखित मूल्य - सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश नकदीकरण फ़ील्ड "B11(ia)" में उल्लिखित मूल्य से अधिक है।
78.	धारा 10(10B) के तहत भत्ते में छूट - सरकारी राजपत्र में CG द्वारा अधिसूचित पहली परंतुक प्रावधान सीमा रु.500,000 से अधिक नहीं हो सकती है।	आय का विवरण अनुसूची में ड्रॉपडाउन 10(10B) के लिए क्रम संख्या B2(ii) में उल्लिखित मूल्य - पहला प्रावधान-सरकारी राजपत्र में CG द्वारा अधिसूचित मुआवजे की सीमा रु. 500,000से अधिक है।
79.	धारा 10(10C) के तहत भत्ते में छूट - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा की समाप्ति पर प्राप्त राशि	आय का विवरण अनुसूची में ड्रॉपडाउन 10(10C) के लिए क्रम संख्या B1(ii) में

	रु. 5,00,000 से अधिक नहीं हो सकती है	उल्लिखित मूल्य - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा की समाप्ति पर प्राप्त/प्राप्य राशि रु. 5,00,000 से अधिक है।
80.	छूट प्राप्त वाले भत्तों में केवल धारा 10(10B) (i) या धारा 10(10B) (ii) या धारा 10(10C) का चयन किया जा सकता है।	आय का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड "B1(ii)" यदि "धारा 10(10B)(i)" या "धारा 10(10B)(ii)" या "धारा 10(10B) से एक से अधिक ड्रॉप डाउन का चयन किया जाता है।"
81.	धारा 10(10CC) के तहत भत्ते में छूट - गैर-मौद्रिक परिलब्धियों पर नियोक्ता द्वारा संदत्त कर धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों के मूल्य से अधिक नहीं हो सकता है।	In schedule Income details value mentioned at s. no. B1(ii) for dropdown 10(10CC)-Tax paid by employer on non-monetary perquisite is more than value mentioned at field "B1(ib)"
82.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है तब धारा 10(13A) के तहत भत्ते में छूट -गृह के किराए पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए भत्ता धारा 17(1) के अनुसार वेतन से अधिक नहीं हो सकता है।	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है and In income details, Sl noB1(ii) if the value of drop down "Sec 10(13A)-Allowance to meet expenditure incurred on house rent" is more than the value of Salary as per Section 17(1) at sl.no.B1(ia) of Part B Gross Total Income.
83.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है तब भत्ते में छूट- धारा 10(14)(i) के तहत निर्धारित भत्ते या लाभ (परिलब्धि की प्रकृति में नहीं) विशेष रूप से कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों के प्रदर्शन में पूरी तरह से, अनिवार्य रूप से और विशेष रूप से और वास्तव में किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए दिए गए धारा 17(1)के क्रम संख्या B1(ia) के अनुसार वेतन के मूल्य से अधिक नहीं हो सकता है।	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है and In schedule Income Details value mentioned at sr no.B1(ii) for dropdown 10(14)(i) Prescribed Allowances or benefits (not in a nature of perquisite) specifically granted to meet expenses wholly, necessarily and exclusively and to the extent actually incurred, in performance of duties of office or employment is more than value mentioned at Sr no. B1(ia)
84.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है तब भत्ते में छूट - धारा 10(14)(ii) निर्धारित भत्ता या लाभ जो कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों के प्रदर्शन में व्यक्तिगत	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है and In schedule Income Details value mentioned at sr no.B1(ii) for

	खर्चों को पूरा करने के लिए या उसे जीवन जीने की बढ़ी हुई लागत के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए दिए गए हैं, धारा 17(1) Sl.No [ia]के अनुसार वेतन के मूल्य से अधिक नहीं हो सकता है।	dropdown Prescribed Allowances or benefits granted to meet personal expenses in performance of duties of office or employment or to compensate him for increased cost of living is more than value mentioned at Sr no. B1(ia)
85.	"आय का विवरण" अनुसूची में धारा 10के तहत भत्ते में छूट की सीमा दर्ज किए गए व्यष्टि मूल्यों के योग के बराबर होना चाहिए।	In schedule "Income Details" Total value mentioned at sr. no. B1(ii) is not equal to sum of individual values entered.
86.	अनुसूची 80G में आदाता का PAN" निर्धारिती PAN" या " सत्यापन पर PAN" के समान नहीं होना चाहिए "	यदि अनुसूची 80G में "आदाता का PAN" (यदि भरा है), तो आय का विवरण अनुसूची या PAN की सामान्य जानकारी के भाग में उल्लिखित निर्धारिती PAN के बराबर है, जैसा कि सत्यापन भाग में दर्ज किया गया है।
87.	अनुसूची 80G में तालिका (A) में " 100% कटौती के लिए बिना अर्हता प्राप्त सीमा के दान " नकद में दान या अन्य विधि से दान अनिवार्य रूप से दर्ज किया गया है तो उसके बिना कुल कटौती स्तंभ दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।	अनुसूची 80G में, "दान राशि को योग्य सीमा के बिना 100% कटौती हेतु अर्हता प्राप्त किये जाने के लिए" दान की राशि को "नकद में दान" या "अन्य मोड में दान" में दर्ज करना होगा।
88.	अनुसूची 80G में तालिका (B) में "दान सीमा के बिना 50% कटौती के लिए पात्र दान" नकद या अन्य मोड में दान में, दान अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना है जिसके बिना कुल कटौती कॉलम दर्ज नहीं किया जा सकता है	अनुसूची 80G में फ़ील्ड "नकद में दान" या "अन्य मोड में दान" में उल्लिखित राशि शून्य या अमान्य है या (B) के लिए "कुल दान" में उल्लिखित राशि शून्य से अधिक है "योग्यता सीमा के बिना 50% कटौती के लिए पात्र दान होगा" "
89.	अनुसूची 80G में तालिका (c) की "योग्यता सीमा के अधीन 100% कटौती के लिए पात्र दान" नकदी में दान या अन्य मोड में दान अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना है जिसके बिना कुल कटौती कॉलम दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।	अनुसूची 80G में "नकद में दान" या "अन्य मोड में दान" फ़ील्ड में उल्लिखित राशि शून्य या अमान्य है और "कुल दान" में उल्लिखित राशि तालिका (c) के लिए शून्य से अधिक है तो "100% कटौती के लिए पात्र दान के अधीन योग्यता सीमा है"।
90.	अनुसूची80G में तालिका(D) में 50% कटौती के लिए दान राशि अर्हता सीमा के अधीन नकद में दान या अन्य विधि में दान अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना चाहिए जिसके बिना कुल कटौती स्तंभ दर्ज नहीं किया जाना	अनुसूची 80G में वर्णित राशि में "नकद में दान" या "अन्य मोड में दान शून्य या अमान्य है और "कुल दान" में उल्लिखित राशि तालिका (D) "अर्हता प्राप्त सीमा के अधीन 50% कटौती के अधीन दान के

	चाहिए।	लिए शून्य से अधिक है।
91.	अनुसूची 80G में तालिका(E) में दान राशि इनका योग (अर्हक सीमा के बिना 100% कटौती के लिए हकदार दान +अर्हक सीमा के बिना 50% की कटौती के लिए हकदार दान + अर्हक सीमा के अधीन 100% कटौती के लिए हकदार दान + अर्हक सीमा के अधीन 100% की कटौती के लिए हकदार दान) होना चाहिए	अनुसूची 80जी में उल्लिखित मूल्य फ़ील्ड E में उल्लिखित मूल्यों का योग (कुल A+कुल B+कुल C+कुल D) से अधिक है।
92.	तालिका (80G) (A) में "बिना अर्हता प्राप्त सीमा के 100% कटौती के हकदार हैं" में कुल दान "नकद में दान" या "अन्य मोड से दान" के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची 80G में फ़ील्ड "कुल दान" में उल्लिखित मूल्य तालिका (80G) (A) में "बिना अर्हक सीमा के 100% कटौती के हकदार हैं" में "नकद में दान" या "अन्य मोड से दान" की राशि के बराबर नहीं है।
93.	कुल दान' तालिका (80G) (B) में "बिना अर्हता सीमा के 50% कटौती के लिए हकदार दान" "नकद में दान" या "अन्य मोड में दान" के राशि के बराबर होना चाहिए	अनुसूची 80G में फ़ील्ड "कुल दान" का मूल्य तालिका (80G) (B) "बिना अर्हक सीमा के 50% कटौती के लिए दान के हकदार" में "नकद में दान" या "अन्य मोड में दान" की राशि के बराबर नहीं है।
94.	कुल दान', तालिका (80G) (C) अर्हता सीमा के अधीन 100% कटौती के लिए हकदार दान" में "नकद में दान या "अन्य मोड में दान" के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची 80G के फ़ील्ड "कुल दान" में उल्लिखित मूल्य, तालिका (80G) (C) "अहर्ता सीमा के अधीन 100% कटौती के लिए हकदार दान" में "नकद में दान" या "अन्य मोड में दान" की राशि के बराबर नहीं है।
95.	कुल दान', तालिका (80G) (D) "अर्हता सीमा के अधीन 50% कटौती के लिए हकदार दान" में "नकद में दान" या "अन्य मोड में दान" की राशि के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची 80G के फील्ड "कुल दान" में उल्लिखित मूल्य, तालिका (80G) (D) में "अहर्ता सीमा के अधीन 50% कटौती के लिए हकदार दान" में "नकद में दान" या "अन्य मोड से दान" की राशि के बराबर नहीं है।
96.	'क्या आपने धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था को चुना है?' के लिए यदि "नहीं" का विकल्प चुना गया है तो धारा 80 G के तहत नकद में रु. 2,000/-. से अधिक के दान हेतु कटौती की अनुमति नहीं है।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहें हैं?' के लिए विकल्प "नहीं" को चुना जाता है और अनुसूची 80G में नकद में दान में दर्ज की गई राशि 2,000/- से अधिक है और नकद में दान में दर्ज की गई राशि को दान की पात्र राशि की परिकलन के

		लिए माना जाएगा।
97.	"अनुसूची 80GGA" में "नकद में दान" या "अन्य मोड में दान" को अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना है जिसके बिना कुल कटौती कॉलम दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।	अनुसूची 80GGA में फ़ील्ड "नकद में दान" या "अन्य मोड में दान" में उल्लिखित राशि शून्य या अमान्य है और "कुल दान" में उल्लिखित राशि शून्य से अधिक है।
98.	कुल दान', तालिका 80GGA में "नकद में दान" और "अन्य मोड में दान" के योग के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची 80GGA में "नकद में दान" और "अन्य मोड में दान" का योग "कुल दान" फ़ील्ड में उल्लिखित मूल्य के बराबर नहीं है।
99.	यदि धारा 80GGA के तहत कटौती का दावा किया जाता है, तो अनुसूची 80GGA में विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।	आय का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड क्रम संख्या 5(o) में मूल्य शून्य से अधिक है और अनुसूची 80GGA में "पात्र दान" स्तम्भ में मूल्य शून्य या अमान्य हैं।
100.	अनुसूची 80GGA में, 'पात्र दान राशि' 'कुल दान' से अधिक नहीं हो सकती है।	अनुसूची 80GGA में "दान की पात्र राशि" स्तंभ में उल्लिखित मूल्यों का योग "कुल दान" फ़ील्ड में उल्लिखित मूल्य से अधिक नहीं हो सकता है।
101.	नकद में दान की तिथि 01.06.2020से पहले है तो 10,000रुपये से अधिक को नकद में किए गए दान हेतु धारा 80 GGA के तहत कटौती की अनुज्ञात नहीं दी जायेगी ।	नकद में दान की तिथि 01.06.2020से पहले है तो 10,000रुपये से अधिक को नकद में किए गए दान हेतु धारा 80 GGA के तहत कटौती की अनुज्ञात नहीं दी जायेगी ।
102.	अनुसूची VIA के माध्यम से , धारा 80GGA के तहत किये गए दावा में कटौती अनुसूची 80GGA में उल्लिखित दान की पात्र राशि से अधिक नहीं हो सकती है	अनुसूची VIA के माध्यम से , धारा 80GGA के तहत किये गए दावा में कटौती अनुसूची 80GGA में उल्लिखित दान की पात्र राशि से अधिक नहीं हो सकती है
103.	अनुसूची 80GGA में उल्लिखित आदाता का PAN , निर्धारिती का PAN या सत्यापन PAN समान नहीं हो सकते हैं	अनुसूची 80GGA में उल्लिखित आदाता का PAN , निर्धारिती का PAN या सत्यापन PAN समान नहीं हो सकते हैं
104.	अनुसूची IT में कुल 4 संदत्त कर में व्यक्तिगत मूल्यों के योग के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची IT में कुल 4 संदत्त कर में व्यक्तिगत मूल्यों के योग के बराबर होना चाहिए।
105.	TCS अनुसूची में, "इस वर्ष की गयी TCS की राशि का दावा " "संग्रहित कर" से अधिक नहीं होनी चाहिए।	TCS अनुसूची में, "इस वर्ष की गयी TCS की राशि का दावा " "संग्रहित कर" से अधिक नहीं होनी चाहिए।

106.	TCS अनुसूची में कुल 6TCS में से सिर्फ (5) क्रेडिट का दावा किया गया जो कि इस वर्ष के व्यक्तिगत मूल्यों के योग के बराबर होना चाहिए।	TCS अनुसूची में कुल 6TCS में से सिर्फ (5) क्रेडिट का दावा किया गया जो कि इस वर्ष के व्यक्तिगत मूल्यों के योग के बराबर होना चाहिए।
107.	In Schedule TDS2 (Other than salary), "The Amount of TDS claimed this year" should not be more than "Tax deducted".	In Schedule TDS2 (Other than salary), "The Amount of TDS claimed this year" should not be more than "Tax deducted".
108.	TDS 3अनुसूची में स्रोत पर कर कटौती का विवरण [कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत फॉर्म 26QC के अनुसार], "इस वर्ष दावा की गयी TDS (3) की राशि" "कर कटौती" से अधिक नहीं होनी चाहिए।	TDS 3अनुसूची में स्रोत पर कर कटौती का विवरण [कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत फॉर्म 26QC के अनुसार], "इस वर्ष दावा की गयी TDS (3) की राशि" "कर कटौती" से अधिक नहीं होनी चाहिए।
109.	TDS (2) की अनुसूची में, कर कटौती का TDS (3)/TCS वर्ष '0'/'अमान्य' नहीं हो सकता है यदि TDS /TCS का दावा किया गया है	TDS (2) की अनुसूची में, कर कटौती का TDS (3)/TCS वर्ष '0'/'अमान्य' नहीं हो सकता है यदि TDS /TCS का दावा किया गया है
110.	In Schedule TDS1 total of col 5 'Total Tax deducted" should be equal to sum of individual values of col 5	In Schedule TDS1 total of col 5 'Total Tax deducted" should be equal to sum of individual values of col 5
111.	In Schedule TDS2 total of col 6 'TDS Credit out of (5) claimed this year" should be equal to sum of individual values of col 6	In schedule TDS2-Total is not equal to sum of values mentioned in column 6
112.	In Schedule TDS3 total of col 6' 'TDS Credit out of (5) claimed this year should be equal to sum of individual values of col 6	In schedule TDS3 Total is not equal to sum of values mentioned in column 6
113.	TDS, TCS or Tax paid claimed in "Taxes Paid and Verification" should be equal to the details of tax amount paid provided in Schedule IT, Schedule TDS1, Schedule TDS2 and Schedule TCS.	In schedule Taxes paid and verification value mentioned at field sr. no 23(b) is not equal to sum of values mentioned at sr no. 18 TDS1(Total), 19 TDS2(Total) and 20TDS3 (total) of schedule TDS या संदत्त कर और सत्यापन अनुसूची में फ़ील्ड क्रम संख्या 23(c) में उल्लिखित मूल्य, TCS की अनुसूची के 22TCS(कुल) में उल्लिखित मूल्य के बराबर नहीं होना चाहिए । या संदत्त कर और सत्यापन अनुसूची में

		फ़ील्ड क्रम संख्या 23(a) और 23(d) में उल्लिखित मूल्य का योग, TDS अनुसूची के कुल क्रम संख्या 21(IT) पर उल्लिखित मूल्य के बराबर नहीं होना चाहिए
114.	TDS, TCS, अग्रिम कर और स्व निर्धारण कर में किये गए दावे की राशि का योग "कुल संदत्त कर के दावे की राशि के बराबर होना चाहिए।	"संदत्त कर और सत्यापन- अनुसूची में, फ़ील्ड 23(a),23(b),23(c) और 23(d) में उल्लिखित मूल्यों का योग फ़ील्ड 24में उल्लिखित मूल्य से मेल नहीं खाता है।
115.	दावे की प्रतिदाय " कुल संदत्त कर" घटा "कुल कर और देय ब्याज " के बराबर होनी चाहिए।	सन्दत्त कर और सत्यापन अनुसूची में क्रम संख्या 26 में उल्लिखित मूल्य और आय का विवरण अनुसूची में क्रम संख्या 17 और सन्दत्त कर और सत्यापन अनुसूची के क्रम संख्या 24 के बीच में अंतर बराबर नहीं है। टिप्पणी: +5और -5. को पूर्णांकित करना टिप्पणी- यह नियम लागू किया जाना है यदि B24>B17
116.	देय कर की राशि "कुल कर और देय ब्याज" घटा "कुल संदत्त कर" के बराबर होनी चाहिए।	सन्दत्त कर और सत्यापन अनुसूची में क्रम संख्या 25 में उल्लिखित मूल्य और आय का विवरण अनुसूची में क्रम संख्या 17 और सन्दत्त कर और सत्यापन अनुसूची के क्रम संख्या 24 के बीच में अंतर बराबर नहीं है। टिप्पणी: +5और -5. को पूर्णांकित करना टिप्पणी- यह नियम लागू किया जाना है यदि B24<B17
117.	“बैंक विवरण“ के अंतर्गत IFSC को RBI के डेटाबेस से मेल खाना चाहिए।	संदत्त कर और सत्यापन अनुसूची में क्रम संख्या 26(i) में “बैंक विवरण“ के अंतर्गत IFSC, RBI के डेटाबेस से मेल नहीं खा रहा
118.	"सन्दत्त कर और सत्यापन" की अनुसूची में किये गए दावे के कुल दावाकृत TDS, दावाकृत TDS 1, 2और 3के योग के बराबर होना चाहिए।	In schedule "taxes paid and verification value mentioned at field Sr no. 23(b) is not equal to sum of Values mentioned at sr. 18 TDS1(Total), Sr no. 19 TDS2(Total) and Sr.no. 20 TDS3(Total)
119.	"सन्दत्त कर और सत्यापन अनुसूची" में कुल दावाकृत TCS TCS अनुसूची में कुल दावाकृत	"सन्दत्त कर और सत्यापन अनुसूची में फ़ील्ड क्रम संख्या 23(c) में उल्लिखित

	TCS के योग के बराबर होना चाहिए	मूल्य, क्रम संख्या 22TCS (कुल) में उल्लिखित मूल्यों के बराबर नहीं है।
120.	In "Schedule Taxes Paid and Verification" Total Advance Tax paid should be equal to the sum of total Tax Paid in schedule IT where date of deposit is between 01/04/ 2020 and 31/03/2021.	In schedule In "Schedule Taxes Paid and Verification" value at filed sr no. 23(a) is not equal to the sum of total Tax Paid in schedule IT where date of deposit is between 01/04/2020 and 31/03/2021. for AY 2021-22
121.	In "Schedule Taxes Paid and Verification" Total Self-Assessment Tax Paid should be equal to the sum of total Tax Paid in schedule IT where date of deposit is after 31/03/2021 for A.Y 2021-22	अनुसूची में "सन्दत्त कर और सत्यापन अनुसूची" में फ़ाइल क्रम संख्या 23(d) के मूल्य का योग बराबर नहीं होना चाहिए जो कि अनुसूची IT में भुगतान किए गए कुल कर की जमा करने की तिथि निर्धारण वर्ष 2021-22के लिए 31/03/2021के बाद है।
122.	बैंक खाते के विवरण के तहत आय विवरण में कम से कम एक चेकबॉक्स का चयन किया जाना चाहिए जिसमें निर्धारिती प्रतिदाय पाना चाहते हैं"।	यदि बैंक खाते के विवरण के अंतर्गत आय विवरण में कम से कम एक चेकबॉक्स चयनित नहीं है।
123.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है तो एक कर्मचारी होने के नाते करदाता केवल रु. 50000 की सीमा तक मानक कटौती का दावा, धारा 16ia के तहत कर सकता है।	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और आय का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड क्रम संख्या B1(iv)(a) में मूल्य रु. 50,000 से अधिक है।
124.	आय के विवरण में TDS हेतु क्रेडिट के लिए किये गए दावे , लेकिन संबंधित प्राप्तियों/आय के कराधान को छोड़ दिया गया है। (प्राप्तियों/आय को एक कर या विवरणी में अनुसूचियों के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अलावा, फॉर्म 26AS में प्रदर्शित होने वाली प्राप्तियाँ जो कि अनुसूची के विवरणी के कर में दी जाती हैं।	आय का विवरण अनुसूची में - वेतन से आय की क्रम संख्या Sr.no B1(i) में शून्य या अमान्य है। और B2 (i) + B2(vi) HP से होने वाली आय शून्य या अमान्य है और OS (B3) से होने वाली आय शून्य/ अमान्य है और सकल कुल आय (B4) शून्य से कम या शून्य/ अमान्य के बराबर है और

		करमुक्त आय (रिपोर्टिंग के प्रयोजन से) शून्य/ अमान्य के बराबर है और वेतन पर TDS अनुसूची में, TDS का दावा "कर कटौती" पंक्ति में 100 से अधिक है या वेतन के अलावा अन्य आय पर TDS का दावा है, तो दावाकृत TDS चालू वर्ष के दौरान किया गया है यानी स्तंभ संख्या (6) का योग 100से अधिक है या अनुसूची TDS में (करदाता(ओं) द्वारा प्रस्तुत फॉर्म 16C के अनुसार), वर्ष के दौरान TDS का दावा किया गया है यानी स्तंभ संख्या (7) का योग 100से अधिक है।
125.	आय का विवरण अनुसूची में, धारा 80GG के तहत स्वीकार्य अधिकतम सीमा है: रु.60,000/- या इस व्यय की कटौती की अनुज्ञात देने से कुल आय का 25% या उससे कम हो।	आय का विवरण अनुसूची में B5(n) पर मूल्य 60,000 से अधिक या इस व्यय की कटौती की अनुज्ञात से पहले B7 का 25%। टिप्पणी : पूर्णांकन करना +1. (जैसे, यदि XML का मूल्य अस्थायी गणना मूल्य के 1/- तक है तो यह xml तक ही प्रतिबंधित नहीं है)
126.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है तब धारा 80CCD(1B) के तहत अनुज्ञेय अधिकतम सीमा रु .50,000/- है।	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और आय का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड B5(d) में मूल्य रु.50,000 से अधिक है।
127.	धारा 80CCD (2) के तहत कटौती का दावा करदाता नहीं कर सकता है जिसने नियोक्ता प्रवर्ग को "पेंशनभोगी" या "लागू नहीं" के रूप में चुना है।	धारा 80CCD (2) के तहत कटौती का दावा करदाता नहीं कर सकता है जिसने नियोक्ता प्रवर्ग को "पेंशनभोगी" या "लागू नहीं" के रूप में चुना है।
128.	कुल आय रु 50लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।	आय का विवरण अनुसूची में, फ़ील्ड B7 में, कुल कराधेय आय रु. 50लाख से अधिक नहीं हो सकती है।
129.	अनुसूची 80G में, यदि दान नकदी में किया जाता है तो आदाता का PAN एक से अधिक बार उपस्थित नहीं हो सकता है।	अनुसूची 80G में, जब आदाता एक ही PAN एक से अधिक बार उपस्थित करता है और ऐसे PAN के लिए 'नकद में दान' फ़ील्ड के विरुद्ध माना जाएगा यदि दान की राशि रु. 2000से अधिक है।

130.	अनुसूची 80GGA में, यदि दान 01.06.2020से पहले नकद में किया जाता है, तो आदाता का एक ही PAN एक से अधिक बार उपस्थित नहीं हो सकता है।	अनुसूची 80GGA में, दान का भुगतान नकद में होने पर आदाता का PAN एक से अधिक बार उपस्थित नहीं हो सकता है। अनुसूची 80GGA में, जब आदाता का PAN एक से अधिक बार उपस्थित होता है और ऐसे PAN के लिए 'नकद में दान' फ़ील्ड की राशि रु.10000 से अधिक है और नकद में दान की तिथि 01.06.2020 से पहले है।
131.	मकान किराया भत्ता (धारा .10(13A के तहत HRA)) का दावा किया जाता है, इसलिए संबंधित अवधि के लिए धारा .80GG के तहत कटौती की अनुमति नहीं है।	धारा .10(13A)>'100' के तहत की गई कटौती, धारा.10(sl.no.1(iii)) के तहत भत्तों की छूट की सीमा और धारा.80GG के तहत कटौती [sl.no.B(5n)]>"0" 55000
132.	यदि नियोक्ता प्रवर्ग केंद्र सरकार है तो धारा 80CCD (2) के तहत वेतन में कटौती 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए।	धारा 80CCD (2) के तहत कटौती की अधिकतम सीमा B1(iii)-B1(ib) का 14% होनी चाहिए (कुल वेतन-परिलब्धि का मूल्य यदि नियोक्ता प्रवर्ग में से कोई भी केंद्र सरकार है टिप्पणी : पूर्णांकन करना +1. (जैसे, यदि XML का मूल्य अस्थायी गणना मूल्य के 1/- तक है तो यह xml तक ही प्रतिबंधित नहीं है)
133.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंः?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है धारा 80EE के तहत कटौती का दावा करने वाला निर्धारिती रु. 50000/- से अधिक का नहीं कर सकता है।	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंः?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है and In schedule Income Details value mentioned at sr. no. B5(j) exceed Rs. 50,000 for the deduction u/s 80EE
134.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंः?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है धारा 80EEA के तहत कटौती का दावा करने वाला निर्धारिती रु. 150000/- से अधिक का नहीं कर सकता है।	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंः?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है and In schedule Income Details value mentioned at sr. no. B5(k) exceed Rs. 150,000 for the deduction u/s 80EEA
135.	धारा 80EE /80EEA के तहत केवल एक कटौती की अनुज्ञात है।	In schedule Income Details value mentioned at sr. no. B5(k) exceed

	इस प्रकार, यदि धारा 80EEA के तहत दावे में की गई कटौती "शून्य" से अधिक है, तो धारा 80EE के तहत दावे में की गई कटौती "शून्य" से अधिक नहीं हो सकती है।	Zero or Null and details of value mentioned in field sr no B5(j) is greater than "Zero" or "Null"
136.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है तब धारा 80EEB के तहत निर्धारिती रु. 150000/- से अधिक की कटौती का दावा नहीं कर सकता है।	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है and In schedule Income Details value mentioned at sr. no. B5(l) exceed Rs. 150,000 for the deduction u/s 80EEB
137.	यदि वेतन या पारिवारिक पेंशन का विवरण "शून्य" / "रिक्त" है, तो करदाता द्वारा धारा 89 के तहत राहत का दावा नहीं किया जा सकता है।	धारा 89के तहत राहत शून्य से अधिक नहीं हो सकती यदि क्रम संख्या B1(i) में आय का विवरण में और B3 में पारिवारिक पेंशन से आय "शून्य"/"रिक्त" है।
138.	यदि मूल विवरणी धारा 142(1) के तहत फ़ाइल किया गया है तो करदाता धारा 139 के तहत विवरणी फ़ाइल नहीं कर सकता (अपलोड स्तर पर जाँच की जाएगी)	यदि धारा 139(5) के तहत विवरणी फ़ाइल किया जा रहा है और यदि मूल विवरणी के लिए ई-फ़ाइलिंग तालिका में प्रविष्टि उपलब्ध है जो धारा 142(1) के तहत किया गया है।
139.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है then In Schedule 80D, Deduction at Sl. No. 1a Self and Family will be allowed to the extent of 25000	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और अनुसूची 80D में, फ़ील्ड 1a पर मूल्य 25000 से अधिक है।
140.	In Schedule 80D, Deduction at Sl. No. 1a should be equal to sum of Sl. No (i+ii) Note: This validation to be checked if value of (i+ii) at Sl. No. 1a is less than 25000	In Schedule 80D, Deduction at Sl. No. 1a should be equal to sum of Sl. No (i+ii) टिप्पणी: यह नियम केवल तभी लागू होगा जब 'क्या आप धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं? हेतु "नहीं" चुना गया है
141.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है तो अनुसूची 80D में, सभी फ़ील्ड के एक साथ निवारक स्वास्थ्य जाँच की राशि 5000से अधिक नहीं होनी चाहिए।	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैंं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और अनुसूची 80D में, सभी फ़ील्ड 1(a)(ii), 1(b)(ii), 2(a)(ii), 2(b)(ii) का एक साथ मिलाकर मूल्य 5000से अधिक होना चाहिए

		।
142.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है then In Schedule 80D, Deduction at Sl. No. 1b Self and Family (Senior Citizen) will be allowed to the extent of 50000	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और अनुसूची 80D में, फ़ील्ड 1b पर मूल्य 50000से अधिक है।
143.	In Schedule 80D, Deduction at Sl. No. 1b should be equal to sum of Sl. No (i+ii+iii) Note: This validation to be checked if value of (i+ii+iii) at Sl. No. 1b is less than 50000	In Schedule 80D, Deduction at Sl. No. 1b should be equal to sum of Sl. No (i+ii+iii) टिप्पणी: यह नियम केवल तभी लागू होगा जब 'क्या आप धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं? हेतु "नहीं" चुना गया है
144.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है then In Schedule 80D, Deduction at Sl. No. 2a Parents will be allowed to the extent of 25000	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और अनुसूची 80D में, फ़ील्ड 2a पर मूल्य 25000 से अधिक है।
145.	In Schedule 80D, Deduction at Sl. No. 2a should be equal to sum of Sl. No (i+ii) Note: This validation to be checked if value of (i+ii) at Sl. No. 2a is less than 25000	In Schedule 80D, Deduction at Sl. No. 2a should be equal to sum of Sl. No (i+ii) टिप्पणी: यह नियम केवल तभी लागू होगा जब 'क्या आप धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं? हेतु "नहीं" चुना गया है
146.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है then In Schedule 80D, Deduction at Sl. No. 2b Parents (Senior Citizen) will be allowed to the extent of 50000	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है और अनुसूची 80D में, फ़ील्ड 2b पर मूल्य 50000से अधिक है।
147.	In Schedule 80D, Deduction at Sl. No. 2b should be equal to sum of Sl. No (i+ii+iii) Note: This validation to be checked if value of (i+ii+iii) Sl. No. 2b is less than 50000	In Schedule 80D, Deduction at Sl. No. 2b should be equal to sum of Sl. No (i+ii+iii) टिप्पणी: यह नियम केवल तभी लागू होगा जब 'क्या आप धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं? हेतु "नहीं" चुना गया है
148.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है then In Schedule 80D, Sl.	यदि 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नए कर नियम को चुनना चाहते हैं?' के लिए विकल्प 'नहीं' चुना गया है and In

	No. 3 Eligible amount of deduction will be allowed to the extent of 100000	Schedule 80D, Sl. No. 3 Eligible amount of deduction is greater than 100000
149.	In Schedule 80D, Eligible amount of deduction at Sl. No. 3 should be equal to sum of Sl. No (1a+1b+2a+2b) subject to GTI Note: This validation to be checked if value of Sl. No. (1a+1b+2a+2b) at Sl. No. 3 is less than 100000	In Schedule 80D, Eligible amount of deduction at Sl. No. 3 should be equal to sum of Sl. No (1a+1b+2a+2b) subject to GTI टिप्पणी : यह नियम केवल तभी लागू होगा जब 'क्या आप धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं? हेतु "नहीं" चुना गया है
150.	यदि अध्याय VIA के अंतर्गत आय का विवरण में 80D का दावा किया गया है तो अनुसूची 80D में विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।	आय का विवरण अनुसूची में, क्रम संख्या B5(f) में फील्ड 80D पद्धति में परिकलित मूल्य शून्य से अधिक है। और In "80D schedule", the field Sl. No. 3 "Eligible Amount of Deduction" field is "Zero" or "NULL".
151.	अनुसूची 80G में, 'दान की पात्र राशि' 'कुल दान' से अधिक नहीं हो सकती है।	अनुसूची 80G में "दान की पात्र राशि" स्तंभ में उल्लिखित मूल्यों का योग "कुल दान" फ़ील्ड में उल्लिखित मूल्य से अधिक नहीं हो सकता है।
152.	"आय का विवरण अनुसूची" में कुल कर, शुल्क और ब्याज,राहत के बाद अतिशेष कर राशि के योग + कुल ब्याज, देय शुल्क के बराबर होना चाहिए	आय का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड "B17 में उल्लिखित मूल्य फ़ील्ड (B14+B16) में मूल्य के योग के बराबर नहीं है।
153.	"धारा 10(17A)-सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार" ड्रॉप-डाउन को छूट प्राप्त आय के अंतर्गत एक से अधिक बार नहीं चुना जा सकता है।	यदि "छूट प्राप्त आय" के अंतर्गत ड्रॉपडाउन "धारा 10(17A)-सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार" एक से अधिक बार चुना जाता है।
154.	धारा 80GG के तहत कटौती का दावा करने के लिए फॉर्म 10BA फ़ाइल किया जाना चाहिए।	फ़ील्ड 80GG पर मूल्य शून्य से अधिक है लेकिन फॉर्म 10BA फ़ाइल नहीं किया गया है।
155.	नकद में दान की तिथि 01.06.2020या उसके बाद है तो 2000/- रुपये से अधिक नकद में किए गए दान के लिए धारा 80GGA के तहत कटौती की अनुज्ञात नहीं है। .	80GGA अनुसूची में नकद में दान में दर्ज की गई राशि 2,000/- से अधिक है और नकद में दान की तिथि 01.06.2020को या उसके बाद है तो इसे दान की पात्र राशि की संगणना के लिए माना जायेगा।
156.	अनुसूची 80GGA में, यदि दान 01.06.2020को या उसके बाद नकद में किया जाता है, तो	अनुसूची 80GGA में, दान का भुगतान नकद में होने पर आदाता का PAN एक

	आदाता का PAN एक से अधिक बार प्रदर्शित नहीं होगा।	से अधिक बार उपस्थित नहीं हो सकता है। अनुसूची 80GGA में, जब आदाता का PAN एक से अधिक बार दिखाया देता है और ऐसे पैन के लिए 'नकद में दान' फ़ील्ड का योग रु. 2,000 से अधिक है और नकद में दान की तिथि 01.06.2020को या उसके बाद की होगी।
157.	आय का विवरण में कुल लाभांश आय "लाभांश आय का त्रैमासिक ब्यौरे" के योग के बराबर होनी चाहिए।	आय के विवरण में, "राशि" फ़ील्ड पर मूल्य लाभांश आय के त्रैमासिक ब्रेकअप के योग के बराबर नहीं है (अर्थात 15/6तक + 16/6से 15/9+ 16/9से 15/12तक + 16/12से 15/3+16/3से 31/3तक)
158.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है फिर भाग C – कटौती और कराधेय कुल आय, B5(a), B5(b), B5(c), B5(d),B5(f),B5(g),B5(h),B5(i),B5(j),B5(k),B5(l),B5(m),B5(n),B5(o),B5(p),B5(q),B5(r),B5(s)पर कटौती "0" से अधिक नहीं होनी चाहिए	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है फिर भाग C – कटौती और कराधेय कुल आय, B5(a), B5(b), B5(c), B5(d),B5(f),B5(g),B5(h),B5(i),B5(j),B5(k),B5(l),B5(m),B5(n),B5(o),B5(p),B5(q),B5(r),B5(s) पर कुल कटौती "0" से अधिक है
159.	अनुसूची 80G में, यदि PAN पहले से ही खण्ड के किसी भी सेट में दर्ज है (यानी 100%, 50%,अहर्ता सीमा के साथ, अहर्ता सीमा के बिना) तो उसी PAN को किसी अन्य खण्ड में दर्ज नहीं किया जा सकता है।	अनुसूची 80G में, PAN पहले से ही खण्ड के किसी भी सेट में दर्ज किया गया है (यानी 100%, 50%, अहर्ता सीमा के साथ, अहर्ता सीमा के बिना) और दर्ज किया गया एक ही PAN किसी अन्य खण्ड में है।
160.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है धारा 10(14)(ii) के तहत भत्ते में छूट - "शारीरिक रूप से विकलांग निर्धारिती को दिया गया परिवहन भत्ता" रु.38,400से अधिक नहीं होना चाहिए।	धारा 10(14)(ii) के तहत भत्ते में छूट - "शारीरिक रूप से विकलांग निर्धारिती को दिया गया परिवहन भत्ता" रु 38,400से अधिक है।
161.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं?' हेतु "हाँ" का विकल्प चुन रहे हैं तो छूट प्राप्त भत्ता	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?', हेतु "हां" का विकल्प चुना जाता है और छूट

	"धारा 10(5) के तहत-अवकाश यात्रा रियायत/सहायता" "धारा 10(13A) - मकान किराए पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए भत्ता। "धारा 10(14)(i)-निर्धारित भत्ते या लाभ (परिलब्धि की प्रकृति में नहीं है) अनन्यत रूप से कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों के प्रदर्शन को पूरा करती है, अनिवार्य रूप से और विशेष रूप से और वास्तव में किए गए व्यय को पूरा करने के लिए दिए गए हैं"। "धारा 10(14)(ii) - कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों के प्रदर्शन में व्यक्तिगत व्यय को पूरा करने के लिए या निर्वाह-खर्च पर हुई लागत की भरपाई के लिए दिए गए निर्धारित भत्ते या लाभ" 0" से अधिक नहीं होने चाहिए।	भत्ते के तहत "धारा 10(5) के तहत-अवकाश यात्रा रियायत/सहायता" "धारा 10(13A) - मकान किराए पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए भत्ता। "धारा 10(14)(i)-निर्धारित भत्ते या लाभ (परिलब्धि की प्रकृति में नहीं है) अनन्यत रूप से कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों के प्रदर्शन को पूरा करती है, अनिवार्य रूप से और विशेष रूप से और वास्तव में किए गए व्यय को पूरा करने के लिए दिए गए हैं"। "धारा 10(14)(ii) - निर्धारित भत्ते या लाभ जो कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों के प्रदर्शन में व्यक्तिगत व्यय को पूरा करने के लिए या निर्वाह-खर्च" की बढ़ी हुई लागत की भरपाई के लिए दिया जाएगा "0" से अधिक है
162.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु "नहीं" का विकल्प चुना गया है तो "धारा 10(14)(i) के तहत भत्ते में छूट - उप-खंड (a) से (c) में निर्दिष्ट भत्ते उप-नियम (1) के नियम 2BB में है। "धारा 10(14)(ii) के तहत - शारीरिक रूप से विकलांग निर्धारिती को दिया गया परिवहन भत्ता "0" से अधिक नहीं होना चाहिए।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु "नहीं" का विकल्प चुना गया है, और भत्ते के तहत छूट "धारा 10(14)(i) के तहत-नियम 2BB में उप-नियम (1) के उप-खंड (a) से (c) में निर्दिष्ट भत्ते हैं। "धारा 10(14)(ii)-परिवहन भत्ता शारीरिक रूप से विकलांग निर्धारिती को अनुदत्त किया गया है।" "0" से अधिक है
163.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु "हाँ" का विकल्प नहीं चुना जा सकता है। धारा 139(1) के तहत उल्लिखित विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि के बाद	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु "हाँ" का विकल्प चुना जाएगा। धारा 139(1) के तहत उल्लिखित विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि के बाद
164.	Once a proceeding is initiated u/s148, no other return can be filed u/s 139 (Will be blocked at upload level)	यदि धारा 139के तहत विवरणी फ़ाइल किया जा रहा है और यदि चयनित AY के लिए मूल विवरणी हेतु धारा 148के तहत ई-कार्यवाही तालिका में प्रविष्टि उपलब्ध

		है।
165.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है और धारा 80C, 80CCC और 80CCD(1) के तहत दावा की गई कटौतियों का योग शून्य से अधिक नहीं होना चाहिए।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना गया है, फिर क्रम संख्या B5(a),B5(b और B5 (c) की आय विवरण की राशि शून्य से अधिक नहीं है।
166.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है तब अनुसूची VIA में, धारा 80DD के तहत दावे में की गई कटौती "0" से अधिक नहीं होनी चाहिए।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है आय का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड B5(g) का मूल्य "0" से अधिक है।
167.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है तो धारा 80DDB के तहत दावे में की गई कटौती "0" से अधिक नहीं होनी चाहिए।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है और आय का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड B5(h) पर मूल्य "0" से अधिक है।
168.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है धारा 80G के तहत दावे में की गई कटौती "0" से अधिक नहीं होनी चाहिए और अनुसूची 80G में विवरण प्रदान नहीं किया जाना चाहिए	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है और (आय का विवरण अनुसूची में क्रम संख्या 5(m) में उल्लिखित मूल्य शून्य से अधिक है। या अनुसूची 80G में उल्लिखित सभी मान शून्य या अमान्य नहीं हैं।
169.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है फिर अनुसूची VIA के अंतर्गत, धारा 80TTA के तहत दावे में की गई कटौती "0" से अधिक नहीं होनी चाहिए।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है और आय का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड B5(q) में उल्लिखित मान "0" से अधिक है।
170.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है फिर अनुसूची VIA के अंतर्गत, धारा 80TTB के तहत दावे में की गई कटौती "0" से अधिक नहीं होनी चाहिए।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है आय का विवरण अनुसूची में व्यक्तिगत जानकारी में जन्म तिथि 02.04.1961से पहले है और फ़ील्ड B5(r) में मूल्य "0" से अधिक

		है।
171.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है फिर अनुसूची VIA के अंतर्गत, धारा 80U के तहत दावे में की गई कटौती "0" से अधिक नहीं होनी चाहिए।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है आय का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड B5(s) पर "0" से अधिक मूल्य है।
172.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है तो यदि गृह संपत्ति में कोई हानि होती है, तो सकल कुल आय वेतन और अन्य स्रोतों से कुल आय के बराबर होनी चाहिए, गृह संपत्ति से होने वाली हानि को नजरअंदाज किया जाएगा।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' के लिए हाँ का विकल्प चुना जाता है। और B2(Vii) नकारात्मक है, तो (B1(vi)+B3), B4 के बराबर नहीं है।
173.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' के लिए हाँ का विकल्प चुना गया है, तो धारा 10(17) के तहत करमुक्त आय - MP/MLA/MLC में भत्ता शून्य से अधिक नहीं होना चाहिए।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' के लिए हाँ का विकल्प चुना जाता है। और धारा 10(17) के तहत करमुक्त आय - MP/MLA/MLC भत्ता शून्य से अधिक होगा।
174.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है तो अनुसूची HP में, यदि "स्व-अधिकृत" के रूप में "गृह संपत्ति का प्रकार" चुना जाता है, तो उधार ली गई पूँजी पर ब्याज "0" से अधिक नहीं होना चाहिए।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है और आय का विवरण अनुसूची में - अनुसूची HP, "गृह संपत्ति का प्रकार" को "स्व-अधिकृत" के रूप में चुना जाता है, और फ़ील्ड B2(v) में मूल्य "0" से अधिक है।
175.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है तो धारा 57(iia) के तहत कटौती "0" से अधिक नहीं होनी चाहिए।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है and In schedule Income Details value at field"B3-Deduction u/s 57(iia) is more than "0" .
176.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है तो धारा 16(ii) के तहत मनोरंजन भत्ता "0" से अधिक नहीं होना चाहिए।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है और वेतन अनुसूची के फ़ील्ड में क्रम संख्या B1(iv)(b) में मूल्य "0" से अधिक है।

177.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है धारा 10(5) के तहत छूट - अवकाश यात्रा रियायत/सहायता "0" से अधिक नहीं होनी चाहिए।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है और आय का विवरण अनुसूची में ड्रॉपडाउन 10(5) के लिए क्रम संख्या B1(ii) में उल्लिखित मूल्य - अवकाश यात्रा रियायत/सहायता "0" से अधिक है।
178.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है भत्ते में छूट धारा 10(13A) - किराए पर लिए गए मकान के व्यय को पूरा करने के लिए किराया "0" से अधिक नहीं होना चाहिए।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है and In income details, Sl noB1(ii) if the value of drop down "Sec 10(13A)-Allowance to meet expenditure incurred on house rent" is more than "0"
179.	टिप्पणी: 'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है छूट भत्ते - धारा 10(14)(i) निर्धारित भत्ते या लाभ (परिलब्धि की प्रकृति में नहीं) विशेष रूप से कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों के प्रदर्शन में पूरी तरह से, अनिवार्य रूप से और अनन्यतः रूप से और परिमाण में किए गए व्यय को पूरा करने के लिए हैं जो "0" से अधिक नहीं होना चाहिए।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है और आय का विवरण अनुसूची में ड्रॉपडाउन 10(14)(i) हेतु निर्धारित भत्ते या लाभ (परिलब्धि की प्रकृति में नहीं) के लिए क्रम संख्या B1(ii) में उल्लिखित मूल्य पूरी तरह से, अनिवार्य रूप से और विशेष रूप से और कुछ हद तक व्यय को पूरा करने के लिए दिए गए हैं और वास्तव में किया गया, कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों के प्रदर्शन में "0" से अधिक है।
180.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है भत्ते में छूट - धारा 10(14)(ii) कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों के प्रदर्शन में व्यक्तिगत व्यय को पूरा करने के लिए जीवन निर्वाह-खर्च में हुई लागत की क्षतिपूर्ति करने के लिए निर्धारित भत्ता या लाभ "0" से अधिक नहीं होना चाहिए।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है और आय का विवरण अनुसूची में क्रम संख्या B1(ii) पर ड्रॉपडाउन में मूल्य निर्धारित भत्ते या कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों के प्रदर्शन में व्यक्तिगत व्यय को पूरा करने के लिए या जीवन निर्वाह-खर्च पर हुई लागत की क्षतिपूर्ति करने के लिए दिए गए लाभ "0" ज्यादा हैं।
181.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना गया है, धारा 16(iii) के तहत	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है और आय

	व्यावसायिक कर "0" से अधिक नहीं होना चाहिए।	का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड क्रम संख्या B1(iv)(c) में मूल्य "0" से अधिक है।
182.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है तो धारा 16ia के तहत मानक कटौती "0" से अधिक नहीं होनी चाहिए।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है और आय का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड क्रम संख्या B1(iv)(a) में मूल्य "0" से अधिक है।
183.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है तो अनुसूची VIA के अंतर्गत, धारा 80CCD (1B) के तहत कटौती "0" से अधिक नहीं होनी चाहिए।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है और आय का विवरण अनुसूची में फ़ील्ड B5(d) में मूल्य "0" से अधिक है।
184.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है तो अनुसूची VIA के अंतर्गत, धारा 80EE के तहत कटौती "0" से अधिक नहीं होनी चाहिए।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है and In schedule Income Details value mentioned at sr. no. B5(j) is more than "0"
185.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है तो अनुसूची VIA के अंतर्गत, धारा 80EEA के तहत कटौती "0" से अधिक नहीं होनी चाहिए	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है and In schedule Income Details value mentioned at sr. no. B5(k) is more than "0"
186.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है तो अनुसूची VIA के अंतर्गत, धारा 80EEB के तहत कटौती "0" से अधिक नहीं होनी चाहिए।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है and In schedule Income Details value mentioned at sr. no. B5(l) is more than "0"
187.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है तो धारा 80D के तहत दावा किया गया कटौती "0" से अधिक नहीं होनी चाहिए और अनुसूची 80D में विवरण प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है और (आय का विवरण अनुसूची में क्रम संख्या 5(f) में उल्लिखित मूल्य शून्य से अधिक है। या अनुसूची 80D में उल्लिखित सभी मूल्य शून्य या अमान्य नहीं हैं।

188.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु 'हाँ' का विकल्प चुना गया है और गृह संपत्ति से आय सकारात्मक है तो सकल कुल आय वेतन, गृह संपत्ति और अन्य स्रोतों से कुल आय के बराबर नहीं है।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु 'हाँ' का विकल्प चुना गया है और B2(Vii) सकरात्मक है आय का विवरण अनुसूची में (B1(vi)+B2(vii)+B3), B4 के बराबर नहीं है।
189.	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है धारा 80GGA के तहत दावा किया गया कटौती "0" से अधिक नहीं होनी चाहिए और अनुसूची 80GGA में विवरण प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।	'क्या आप धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं?' हेतु हाँ का विकल्प चुना जाता है और (आय का विवरण अनुसूची में क्रम संख्या 5(o) में उल्लिखित मूल्य शून्य से अधिक है। या अनुसूची 80GGA में उल्लिखित सभी मान शून्य या अमान्य नहीं हैं।

Pr. DGIT (सिस्टम) या DGIT (सिस्टम), जैसी भी स्थिति हो, तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर उपरोक्त किसी भी नियम को जोड़ने या हटाने के लिए अधिकृत है और इसे ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में अपलोड किया जा सकता है।

****